द्विभाषीय मासिक पत्रिका

विधि विमर्श

₹ 35/-

लोक न्याय की अग्रणी कानूनी पत्रिका

Year : 6 | Issue : 3 | January 2026

VIDHI VIMARSH

न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका

Article 21 and the Welfare State

Cyber Crime in India:

Legal Framework, Remedies, and Prevention Strategies

Cyber Law:

India's Privacy Framework in the Digital Age

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी राधिका रमण

नाम नहीं विचाराधारा है मंगल पांडे

RNI.: BIHBIL/2020/79437

नववर्ष मंगल हो...

श्री नितिन नवीन जी

को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं

श्री संजय सरावगी जी

को प्रदेश अध्यक्ष

बनाए जाने पर

कोटि-कोटि बधाई

निवेदकः भाजपा, चुनाव प्रबंधन विभाग

रणविजय सिंह
मीडिया प्रभारी

राधिका रमण
संयोजक

अखिल भारतीय अधिवक्ता
कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
धर्मनाथ प्रसाद यादव
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
(पूर्व वाइस चेयरमैन, बिहार स्टेट बार काउंसिल)
को इटावा (उ.प्र.) में सम्मानित करते हुए
भारत के मुख्य न्यायधीश सुर्यकांत जी

भारत के मुख्य न्यायधीश सुर्यकांत जी के पटना उच्च न्यायालय आगमन पर एडेवोकेट एशोसिएशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं संयुक्त सचिव सह अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रणविजय सिंह अभिवादन करते हुए।

विभागीय मासिक पत्रिका
विधि विमर्श
₹ 35/-
लोक न्याय की अग्रणी कानूनी पत्रिका **VIDHI VIMARSH**
Year : 6 | Issue : 3 | January 2026

संपादक	:	रणविजय सिंह
प्रबंध संपादक	:	राजीव रंजन
कार्यकारी संपादक	:	शिवानंद गिरी
उप सपादक	:	रजनीकांत
		संतोष कुमार
		ओम प्रकाश जमुआर
		दीप रंजन कुमार
		डॉ. शिवजी प्रसाद
		डॉ. विनय अहुजा
संयुक्त संपादक	:	इंद्रदेव प्रसाद
		नीतीश कुमार सिंह
		घनश्याम
		मधु प्रसून
		अमित कुमार सिंह
		डॉ. अर्जुन
		नीरज कुमार
सहायक संपादक	:	शुभश्री बासु
		शंभू शरण शर्मा
		प्रेम कुमार
		दीपक कुमार
		जितेन्द्र कुमार
		डॉ. अमित पासवान
		महिमा कुमारी
ग्राफिक डिजाइनर	:	राकेश कुमार सोनी
छायाकार	:	सत्यविजय सिंह

पंजीकृत कार्यालय
बसवन बिगहा, बिहारशरीफ, नालंदा-803101

प्रशासनिक कार्यालय
राजेन्द्र नगर, रोड नं. 10, पटना-800016

केंद्रीय कार्यालय
कैंपस ऑफ आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, धूकना गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर-201003

फोन : 947021165, 9334612716
Email : vidhivimarsh@gmail.com
Website : www.vidhivimarsh.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक
रणविजय सिंह द्वारा कृत्या पब्लिकेशन, लंगरटोली, पटना-4 से मुद्रित एवं बसवन बिगहा, बिहारशरीफ, नालंदा से प्रकाशित।

Inside

Sl.	CONTENTS	Page No.
1.	साइबर अपराध एक अंतराष्ट्रीय समस्या!	6
2.	बिना संकल्प के विकास अधूरा	9
3.	न्यायिक लोकतंत्र की रीढ़	12
4.	न्यायपालिका में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण	13
5.	न्यायिक प्रक्रिया में युवा वकीलों की भूमिका	14
6.	न्याय प्रिय समाज बनाने में युवाओं की भूमिका	15
7.	Deepfake Scams and Indian Law	24
8.	CNLU Patna Convocation after six years : CJI	25
9.	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस	27

विधि-विमर्श का आर्थिक आधार

संरक्षक	- 25000/-	विज्ञापन का भुगतान चेक/ड्राफ्ट एवं आरटीजीएस से ही मान्य होगा।
विशिष्ठ सदस्य	- 10000/-	खाता सं.- 1413056000007 (विधि विमर्श)
छः वार्षिक सदस्य	- 2000/-	आईएफएससी कोड- PUNB0141320
त्रैवार्षिक सदस्य	- 1100/-	पंजाब नेशनल बैंक
वार्षिक सदस्य	- 400/-	शाखा - बार काउंसिल, पटना

सभी कानूनी विवाद पटना न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निपटाए जाएंगे। लेखकों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं इसकी जिम्मेवारी उनकी है एवं इसके लिए संपादक प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित है। कुछ छायाचित्र और लेख इंटरनेट/पत्र-पत्रिकाओं से साभार। उपरोक्त सभी पद अस्थाई एवं अवैतनिक है किसी भी आलेख पर आपत्ति हो तो एक महीने के अंदर खंडन करें।

Editorial Office : Chamber No. : 165 Bihar State Bar Council Bhawan, Patna, Mob.: 9334612716

अपील

मान्यवर,

हम 'विधि-विमर्श' पत्रिका के माध्यम से विधिक जागरुकता कर जनचेतना विकसित करना चाहते हैं, ताकि पूर्ण दायित्वबोध के साथ आम नागरिक, देश, राज्य और समाज के सकारात्मक विकास में अपनी भूमिका निभा सके तथा जनहितकारी मुद्दों और नीतियों को लागू करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सके।

किसी भी देश, राज्य और समाज की पहचान उसके सजग नागरिकों से होती है और समग्रता से नागरिकों की भूमिका ही विकास की धारा को तीव्रगामी बनाती है। कोई भी पत्र-पत्रिका समाज की संपत्ति होती है। समाज के प्रबुद्धजनों के सहयोग, समर्थन और संरक्षण के बिना उसके गुणवत्तापूर्ण सतत प्रकाशन संभव नहीं है। अपने संरक्षकों के उच्च विचार एवं सहायता के बल पर ही हम पत्रिका के निरंतर प्रकाशन में सक्षम होंगे। अत: हम समाज के सजग, और प्रबुद्ध प्रभावशाली नागरिकों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पत्रिका के सतत प्रकाशन में अपना योगदान दें। इस संदर्भ में हम एक सशक्त संरक्षक समिति का गठन करना चाहते हैं। कृपया, आप भी अपनी सहमति देकर हमारे अभियान को गति प्रदान करें।

आपका ही
रणविजय सिंह संपादक
9334612716

संरक्षक मंडल

धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता कल्याण समिति
जस्टिस राजेंद्र प्रसाद, पूर्व न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
राजेश कुमार शुक्ल, वाइस चेयरमैन, झारखंड स्टेट बार काउंसिल
आदित्य शंकर, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
समरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
कुमार अभिनव, शिक्षाविद् सह समाजसेवी, दिल्ली एनसीआर
डॉ. अनिल सुलभ, अध्यक्ष, बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन
योगेश चंद्र वर्मा, वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
बिंध्य केसरी कुमार, वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
सूर्यदेव यादव, अपर महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
उपेंद प्रसाद, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
अरविंद कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय (CGC)
राजकुमार राजेश, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
डॉ. रंजीत कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
मृत्युंजय कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन
डॉ. प्रो. डीएन मिश्रा, प्रिंसिपल, नवादा विधि महाविद्यालय
अरुण श्रीवास्तव, बिहार इंस्टीटूट ऑफ लॉ, पटना
कौशल कुमार गिरी, डायरेक्टर, अम्बेडकर लॉ कॉलेज, पटना
डॉ. धर्मेंद्र कुमार, दंत चिकित्सक सह समाजसेवी

नववर्ष, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

मनोज कुमार सिंह
अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय
सह संयोजक (भाजपा विधि प्रकोष्ठ)
मो0 - 8709553159

BHUTANI
INFRA
INSPIRED BY INNOVATION
KALYANI GUPTA
DGM
+91 8969404028 | kalyani@bhutanigroup.in
Zonal Office
Bijayshree, Rd,No- 5d/17, North S.k. Puri Patna-13
Crop Office
Plot No.-1 Sector- 90, Noida- U.P
T: 0120 4909090
www.bhutanigroup.com

नववर्ष, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

मधु प्रसून
अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय
सयुंक्त सम्पादक (विधि विमर्श)
मो0- 9234715569

नववर्ष, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

अमीत कुमार सिंह
अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय
संयुक्त सम्पादक (विधि विमर्श)
मो0- 7352378622

सम्पादक की कलम से...

न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की चुनौतियाँ, भूमिका और नववर्ष का संकल्प

रणविजय सिंह
संपादक

सभी पाठकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ,

नववर्ष के शुभ अवसर पर "विधि विमर्श" पत्रिका अपने समस्त सम्मानित पाठकों, अधिवक्ताओं, विधि विद्यार्थियों और न्यायप्रिय नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करती है। नया वर्ष केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्ममंथन, नवसंकल्प के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का अवसर है।

यह हमारे लिए गर्व और उत्तरदायित्व दोनों का विषय है कि "विधि विमर्श" निरंतर छह वर्षों की सफल, निर्बाध और वैचारिक यात्रा पूर्ण कर चुकी है। इन छह वर्षों में यह पत्रिका केवल एक प्रकाशन नहीं, बल्कि विधिक चेतना, संवैधानिक विमर्श और न्यायिक सरोकारों का सशक्त मंच बनकर उभरी है। बार और बेंच के मध्य सेतु का कार्य करते हुए, विधि विमर्श ने कानून को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर, समाज के यथार्थ प्रश्नों से जोड़ने का सतत प्रयास किया है।

आज भारतीय न्यायिक व्यवस्था एक संक्रमणकाल से गुजर रही है जहाँ एक ओर तकनीक, डिजिटल सुनवाई और ई–कोर्ट्स न्याय को तेज़ और सुलभ बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर न्यायिक विलंब, संसाधनों की कमी और पेशेगत असमानताएँ गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे समय में विधि विमर्श की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। विधि विमर्श पत्रिका ने अपने लेखों, संपादकीयों और विश्लेषणों के माध्यम से इन मुद्दों पर निर्भीक, संतुलित और संवैधानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं की भूमिका, उनकी चुनौतियाँ और उनके अधिकारों पर निरंतर प्रकाश डालना इस पत्रिका की पहचान रही है। न्यायिक प्रक्रिया को जीवंत बनाए रखने में युवा अधिवक्ताओं का योगदान अनिवार्य है, और उनके संघर्षों को स्वर देना विधि विमर्श का नैतिक दायित्व भी है। युवा अधिवक्ताओं की चुनौतियों को कम करने के लिए ठोस और संस्थागत प्रयास आवश्यक हैं। प्रशिक्षण कार्यशालाएँ, सेमिनार, मेंटरशिप प्रोग्राम और बार कल्याण योजनाएँ उनके कौशल विकास और आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

बार संगठनों का सक्रिय सहयोग, कानूनी सहायता मामलों में उचित प्रोत्साहन और राज्य स्तर पर विशेष योजनाएँ न्यायिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी और मानवीय बना सकती हैं। स्वेच्छा से गरीबों की सहायता के साथ–साथ युवा अधिवक्ताओं की आजीविका की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह पत्रिका इस विश्वास के साथ आगे बढ़ी है कि सशक्त अधिवक्ता ही सशक्त न्यायपालिका की नींव रखते हैं।

नववर्ष के इस प्रथम अंक के माध्यम से हम यह संकल्प दोहराते हैं कि विधि विमर्श आने वाले समय में भी विधि, संविधान और न्याय के मूल मूल्यों पर आधारित निर्भीक लेखन का मंच बना रहेगा। हम सत्य, तर्क और कानून के पक्ष में खड़े रहेंगे, बिना किसी दबाव और पक्षपात के।

अंत में, छह वर्षों की इस यात्रा में साथ देने वाले सभी पाठकों, लेखकों, संपादकीय सहयोगियों और शुभचिंतकों के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूँजी है।

नववर्ष मंगलमय हो–

न्याय सशक्त हो,

विधि सजग हो,

और 'विधि विमर्श' आपकी आवाज़ बना रहे।

साइबर अपराध एक अंतरराष्ट्रीय समस्या!

शिवानन्द गिरी
अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट
कार्यकारी संपादक, विधि विमर्श
मो0– 9308454485

साइबर अपराध आज के नए जमाने के टेक्नोलॉजी से संपन्न अपराधियों के द्वारा किया जाने वाला नए प्रकार का अपराध है। आज के समय में साइबर अपराध एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई है। इसीलिए भारत में एक साइबर कानून बनाया गया है, यह साइबर कानून डिजिटल दुनिया में होने वाले अपराधों और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समूह है। यह मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी एक्ट) पर आधारित है, जो साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है।

प्रमुख कानून :–

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 हैकिंग और डेटा क्षति के लिए सजा का प्रावधान करती है, जबकि धारा 66 एफ साइबर आतंकवाद को परिभाषित करती है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं जैसे 420 (धोखाधड़ी) भी साइबर मामलों में लागू होती हैं।

साइबर अपराध के प्रकार :–

सामान्य अपराधों में फिशिंग, रैनसमवेयर हमले और पहचान चोरी शामिल हैं, जो 2025 में भारत में आरएस1.2 लाख करोड़ के नुकसान हमलों की निगरानी करती हैं, जबकि 14 सी साइबर धोखाधड़ी का समन्वय करता है।

भारत में प्रमुख साइबर अपराध और दंड क्या हैं?

भारत में साइबर अपराध डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले अपराध हैं, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी एक्ट) इनका मुख्य कानून है, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत सजाएं निर्धारित हैं।

प्रमुख अपराध :–

<u>हैकिंग (धारा 66):</u> कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना या अनधिकृत पहुंच। दंडः 3 वर्ष तक कैद और/या 5 लाख रुपये जुर्माना।

<u>पासवर्ड चोरी (धारा 66 सी):</u>– धोखे से पासवर्ड या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग। दंडः 3 वर्ष तक कैद और/या 1 लाख रुपये जुर्माना।

<u>निजी तस्वीरें प्रकाशित करना (धारा 66 ए):</u>– बिना सहमति निजी छवियां साझा करना। दंडः 3 वर्ष तक कैद और/या 2 लाख रुपये जुर्माना।

<u>साइबर आतंकवाद (धारा 66 एफ):</u> – राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। दंडः 5 वर्ष तक कैद औरध्या 10 लाख रुपये जुर्माना।

अन्य महत्वपूर्ण अपराध :–

<u>यौन सामग्री प्रसार (धारा 67 ए):</u> स्पष्ट यौन छवियां प्रकाशित करना। दंडः पहली बार 5 वर्ष कैद, दोबारा 7 वर्ष और जुर्माना।

<u>बाल अश्लीलता (धारा 67 बी):</u> बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री। दंडः 5 वर्ष तक कैद और जुर्माना।

<u>फिशिंग और धोखाधड़ी :–</u> निवेश स्कैम, डिजिटल अरेस्ट। आईपीसी धारा 420 के साथ आई टी एक्ट लागू।

रिपोर्टिंग और रोकथाम

साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in या 1930 पर करें। सीईआरटी–इन और 14 सी निगरानी करते हैं।

फिशिंग और ओटीपी फ्रॉड से बचने के तरीके क्या हैं?

फिशिंग और ओटीपी फ्रॉड डिजिटल धोखाधड़ी के सामान्य रूप हैं, जहां ठग संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। इनसे बचाव के लिए सतर्कता और सरल आदतें अपनाएं।

फिशिंग से बचाव :–

अनजान ईमेल, एसएमएस या लिंक पर क्लिक न करें; सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

संदेशों में व्याकरण त्रुटियां या जल्दबाजी की मांग हो तो संदेह करें और भेजने वाले की पुष्टि करें।

एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रखें।

ओटीपी फ्रॉड से बचाव :–

कभी भी ओटीपी, पासवर्ड या बैंक विवरण फोन, मैसेज या ईमेल पर न शेयर करें, भले ही कॉलर बैंक का दावा करे।

संदिग्ध नंबर ब्लॉक करें और आधिकारिक नंबर पर खुद संपर्क करें।

बैंक स्टेटमेंट नियमित जांचें और अनधिकृत लेनदेन पर तुरंत रिपोर्ट करें।

शिकायत cybercrime.gov.in पर दर्ज करें या 1930 पर कॉल करें। जागरूकता से 90% फ्रॉड रोके जा सकते हैं।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि नए जमाने का नए प्रकार का साइबर अपराध जो अब एक विकराल रूप ले चुका है क्योंकि अब साइबर अपराध एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, इससे आज के समय में सभी प्रभावित हैं चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, जज हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, महिलाएं हों सभी लोग इसके दायरे में हैं और आए दिन नए–नए प्रकार के साइबर ठगी की शिकायतें प्राप्त होते रहती हैं। आज के समय में जितने टेक्नोलॉजी बढती जा रही है उतने ही साइबर अपराध की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचनी चाहिए और साइबर अपराध से बचने के तरीकों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं जगह–जगह पर कैंप लगाकर आम जनता को साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीकों के बारे में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहें और सुरक्षित रहें।

न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका

रजनीकांत
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
उपसंपादक (विधि विमर्श)
मो0– 7070995755

''मैंने लॉ स्कूल जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि किसी दिन, किसी तरह मैं कुछ बदलाव लाऊँगा।''

– क्रिस्टोफर डार्डन।

न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में कानूनी पेशा में युवाओं की रूचि आश्चर्य जनक रूप से बढ़ी है। आज के युवा इंजेनियरिंग और मेडिकल जैसे पेशे के ऊपर कानून की पढ़ाई और पेशे को वरीयता दे रहें हैं। इसका मुख्य कारण है कानूनी पेशे की विविधता। अब पारंपरिक वकालत के अलावा, साइबर कानून, कॉर्पोरेट कानून, आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार), और नीति विश्लेषण जैसे नए क्षेत्रों में युवाओं को अपार संभावनाएं दिख रहीं हैं, जो नई पीढ़ी को आकर्षित करती हैं। आज के युवा ज्यादा टेक फ्रेंडली है और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करना जानते है। ऑनलाइन संसाधनों और तकनीकों (जैसे लीगल टेक) के कारण रिसर्च का काम करना आसान हो गया है, जिससे यह पेशा और अधिक आधुनिक, वैज्ञानिक और सुलभ बन गया है। आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के उपयोग ने इस पेशे को अधिक आसान बना दिया है।

इसके अतिरिक्त युवा वकीलो में न्याय प्रणाली में सुधार, मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति भी जागरूकता भी बढ़ी है। अब युवा इस बात को अच्छी तरह समझने लगे है कि कानून बदलाव लाने का सबसे बेहतर माध्यम है।

कानून के ज्ञान और डिग्री से छात्रों में आत्मविश्वास, तर्क क्षमता और नई अर्थ व्यवस्था में विकसित होने का कौशल बढ़ रहा हैं। यहीं सब कारण है कि आज के युवा कानून की पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो दे रहें है। युवा अधिवक्ताओ के आँखों मे बदलाव लाने का, कुछ कर गुजरने का सपना चमके रहता है।

लेकिन युवा अधिवक्ताओ के राह में कई चुनौतियाँ है, जिसमे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, शुरुआती वर्षों में कम आय, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का साथ न मिलना, विशेषज्ञता की कमी, व्यावहारिक ज्ञान का आभाव और स्थापित होने में अधिक समय लगना शामिल है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि युवा अधिवक्ता हीं हमारे लोक तंत्र के भविष्य है क्योंकि वे नई ऊर्जा, विचार और तकनीक लेकर आते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर बदलाव और न्याय प्रणाली में निष्पक्षता व समावेशिता (Inclusivity) सुनिश्चित होने की संभावना बढ़ती है। यह एक मजबूत, जवाबदेह और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण हेतु आवश्यक आवश्यकता है।

हाल के दिनों में सरकारों ने अधिवक्ताओं के लिए उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान बुनियादी खर्चों को पूरा करने में सहायता के लिए न्यूनतम छात्रवृत्ति की योजना को क्रियान्वित किया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2024 से लेकर अगले 3 साल तक ₹5000 की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। तीन साल तक सहयोग करने की यह योजना युवा अधिवक्ताओ को प्रेरित करने वाली है।

युवा वकीलों के समग्र विकास हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मेंटरशिप का कार्यक्रम इनके आवश्यक मार्गदर्शन और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जरुरी है। विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल ने युवा अधिवक्ताओं को उचित सुविधाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कल्याण हेतु समय समय पर कई कदम उठाते रहते है।

अतः न्याय वितरण प्रणाली के प्रभावशीलता के लिए युवा अधिवक्ताओं का समर्थन करना उनके लिए उचित व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है।

युवा अधिवक्ता कानूनी शोध, दस्तावेज़ तैयार करने और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता जैसे महत्वपूर्ण सहायक कार्य करते है। ये नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण लाते हैं, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। आत्मनिर्भरता के लिए मूलभूत कौशल विकसित करते हैं। हालांकि, उन्हें अक्सर वित्तीय अस्थिरता और उचित न्यायालय सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। युवा अधिवक्ताओं को जरूरतमंदों की सेवा करना, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और पेशेवर नैतिकता सीखना जरूरी है। इन सबके साथ–साथ याचिका तैयार करने से लेकर फाइलों को व्यवस्थित करने तक, मुकदमों की तैयारी के चुनौतीपूर्ण कार्य से लेकर उसके निष्पादन तक सबकुछ संभालते है। जिससे उनका करियर बनता है और कानूनी व्यवस्था मजबूत होती है। जोनाथन सैक्स ने कहा था कि ''कोई भी महान कामयाब इंसान, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें देखकर लगता था कि यह आसान है, कड़ी मेहनत के बिना सफल नहीं हुआ है।''

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों की केंद्रीय भूमिका थी, जिन्होंने अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग ब्रिटिश कानूनों को चुनौती देने, कार्यकर्ताओं का बचाव करने, याचिकाएँ तैयार करने और आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए किया। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, तिलक और

राजेंद्र प्रसाद, जैसे व्यक्तित्वों ने अधिकारों की वकालत करने, जनमत जुटाने और राष्ट्र के मूलभूत दस्तावेजों को आकार देने के लिए अपनी कानूनी विशेषज्ञता का लाभ उठाया, जिससे कानूनी कौशल राजनीतिक मुक्ति और सामाजिक न्याय के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए।

युवा अधिवक्ताओं को दाएं–बाएं या पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि सामने आने वाली चुनौतियों को अपने मजबूत कंधों पर उठाकर आगे बढ़ना चाहिए, यानी वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि आज जो वरिष्ठ है, वह भी कभी कनिष्ठ था और अपने मेहनत , सूझ –बुझ और हिम्मत के बल पर आगे बढ़ा है ।

''हिम्मत एक वकील का सबसे ज़रूरी गुण है। यह काबिलियत या विज़न से ज्यादा ज़रूरी है।'' – जॉन प्लेसास।

न्याय प्रिय समाज निर्माण में युवाओं की भूमिका

डॉ. अमित कुमार पासवान
अधिवक्ता ,पटना उच्च न्यायालय
सहायक संपादक, विधि विमर्श
मो0– 7004802209

न्याय प्रिय समाज बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्याय और समता पर आधारित समाज निर्माण बनाने में अनेको युवाओं और महापुरुषों ने प्राचीन काल से ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में न्याय स्थापित करने के लिए न्यायपालिका को अति विशिष्ट स्थान दिया गया है। हम सभी को कानून और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। कानून की नजर में सभी मनुष्य समान है ।

न्यायप्रिय समाज बनाने में युवाओं की भूमिका अहम है क्योंकि वे ऊर्जावान, रचनात्मक और बदलाव के वाहक होते हैं; वे सामाजिक मुद्दों (गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता) पर जागरूकता बढ़ाकर, नए समाधान (स्टॉर्टअप, टेक्नोलॉजी) लाकर, राजनीतिक और सामुदायिक भागीदारी से, और संवैधानिक मूल्यों को अपनाकर न्याय और समानता पर आधारित समाज के निर्माण में नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे एक सशक्त और समावेशी भविष्य की नींव पड़ती है। न्यायप्रिय समाज के निर्माण में युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और नई सोच महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल इंतजार करने के बजाय खुद पहल करनी चाहिए और समाज की बेहतरी के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि वे ही भविष्य के नेतृत्वकर्ता हैं। संसार में कई ऐसे उदाहरण है जिससे युवाओं ने अपनी कार्य क्षमता से संपूर्ण विश्व को अवगत कराया है ।

कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी युवा अडिग रह कर अनेकों सकारात्मक कार्य को अंजाम दिया है। युवाओ में अपार क्षमता होती है।

युवा वर्ग की ओर संपूर्ण विश्व टकटकी निगाहें लगाकर आशा के साथ देख रही है की युवा वर्ग कुछ नया करेगा ।

युवाओं में जोश, ऊर्जा और स्फूर्ति होती है। इसलिए युवा शक्ति का हमारे समाज विशेष महत्व होता है ।

युवाओं के कंधे पर ही राष्ट्र दिखता है लेकिन वर्तमान समय में युवाओं के कंधे इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें स्वयं का भी बोझ उठाया नहीं जा रहा है ।

बेरोजगारी आए दिनों बढ़ती रही है। युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने रोजगार को लेकर है। इसलिए युवाओं को अपनी स्किल क्षमता को विकसित करना चाहिए। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा।

आज के युवा जागरूकता कार्यक्रम और वकालत के माध्यम से युवा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सामाजिक मुद्दों (जैसे मानवाधिकार, समानता, पर्यावरण) पर जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते है।

वे केवल दर्शक नहीं रहते, बल्कि मतदान, शांतिपूर्ण विरोध और सामुदायिक कार्यों के माध्यम से सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, जिससे नीति–निर्माण प्रभावित होता है।

युवा नई तकनीकों और विचारों का उपयोग करके सामाजिक समस्याओं (बेरोजगारी, गरीबी) के नवीन समाधान ढूंढते हैं, जो समाज को आगे बढ़ा सकते है।

उनमें साहस होता है कि वे साहसी निर्णय लें और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए नेतृत्व करें, भले ही इसमें चुनौतियां हों। युवा वर्ग रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव और समझ बढ़ाने में मदद करते है। शांति निर्माण और संघर्ष समाधान के प्रयासों में उनकी सराहनीय भूमिका है, जहां वे विश्वास और सुलह को बढ़ावा दे सकते है। युवा वर्ग यदि ठान ले तो भ्रष्टाचार से मुकाबला कर सकता है। वे राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हो सकते हैं और बेहतर शासन की मांग कर सकते हैं जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। हमारे समाज में अनेकों प्रकार की कुरीतियों मौजूद है।

आज अधिकांश युवा वर्ग नशा एवं बुरे कार्यों में लिप्त नजर आता है। ऐसे में शिक्षित और जागरूक युवा का फर्ज बनता है कि वह नशा मुक्ति के क्षेत्र में पहल कर उन्हें समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें।

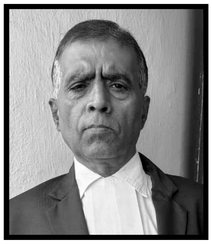

बिना संकल्प के विकास अधूरा

डॉ. ओमप्रकाश जमुआर
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
उपसंपादक, विधि विमर्श
मो0– 8709542267

विदित है हमलोग प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में यानी जनवरी 12 को विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिसम्बर, 2025 के अंतिम रविवार को प्रसारित कार्यक्रम 'मन की बात' में इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 2026 का युवा दिवस विशेष होगा और पूरा वर्ष युवाओं के लिए समर्पित होगा।

न्याय–क्षेत्र में भी यह संदेश अपने आप प्रस्फुरित हुआ है कि जब–जब युवा अधिवक्ता जागा, तब–तब विकास हमारा। यह सही है कि राष्ट्र के विकास एवं समृद्धि के लिए युवा–शक्ति को पहचानना जरूरी है। हमें याद करना चाहिए कि 1850 में अफीम युद्ध हुआ था तो युवा–शक्ति को बचाने के लिए किया गया था। हुआ यह कि जब अंग्रेजों का पदार्पण हमारे देश में हुआ तो सत्ता में हस्तक्षेप उनका बढ़ता गया।

जब पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेज का शासन हो गया था तो उनकी विस्तारवादी नीति भारत के उत्तर में स्थित चीन की ओर गया। अंग्रेज चाहते थे कि चीन पर भी उनका एकाधिकार हो। लेकिन चीनवासियों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। अंग्रेज चालाक थे। वे हमारे देश के उत्तर में स्थित राज्यों में सुनियोजित ढंग से अफीम की खेती करवाने लगें। जब अफीम की फसल तैयार हो जाती थी तो वे बोरे में भर–भर कर घोड़े पर लाद कर भारत के उत्तर तटवर्ती राज्यों मं अफीम का व्यापार करने लगे। चीन के युवा अफीम के प्रयोग से अंग्रेज के प्रभाव में आने लगे जिससे चीनी शासकों को लगा कि कहीं युवा शक्ति का क्षय न हो जाय।

चीनीवासियों ने अफीम की खेती एवं व्यापार का कड़ा विरोध किया जिसे विश्व के इतिहास में अफीम युद्ध के नाम से प्रसिद्धि मिली।

इसलिए युवा शक्ति को पहचाने की जरूरत है। 14 नवम्बर को हमलोग बाल दिवस मनाते हैं। 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाते हैं और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। वर्ष भर में चलने वाले इस सारे समारोह के पीछे हमारा लक्ष्य है युवा शक्ति को संगठित कर राष्ट्र निर्माण करना।

किसी राष्ट्र का विकास एवं समृद्धि युवाशक्ति के बिना अधूरा है। अब हमलोग स्वतंत्रता आंदोलन को उदाहरण के रूप में लें। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो युवा अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय युवा अधिवक्ता थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कानून की पढ़ाई पढ़ ही रहे थे। वे कानून के विद्यार्थी होते हुए महात्मा गांधी के आहवान पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। कुछ वर्षो के बाद गांधीजी के निर्देश पर कानून की पढ़ाई उन्होंने पूरी की।

सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमिट व्यक्तित्व आज भी युवा अधिवक्ताओं को प्रेरित करता है। देश के संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान समिति में युवा अधिवक्ताओं को समाहित किया गया था।

देश की आजादी के बाद भी राष्ट्र के विकास एवं समृद्धि में अधिवक्ताओं की भागीदारी रही है। उनमें युवा अधिवक्ताओं ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जो सबके के लिए प्रेरणादायक है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अस्तित्व में आया तो युवा शक्ति को मजबूती मिली। इसी अधिनियम के तहत बार काउन्सिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया।

देश में मध्यकाल में दीवानी एवं फौजदारी मुकदमें एक ही कोर्ट में क्रमबद्ध हो के सुने जाते थे। उस समय वकालती पेशा खानदानी था। मुकदमों की संख्या सीमित थी। परन्तु आज के समय में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। इस समय देश की सभी अदालतों में पाँच करोड़ से ज्यादा मुकदमें लंबित हैं जिन्हें निष्पादित किया जाना अपरिहार्य है। तभी न्यायपालिका की विश्वसनीयता बरकरार रहेगी।

आज के बदलते समय में प्रौद्योगिकी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार की दृढ़ इच्छा है कि न्यायपालिका में वर्चुअल मेल में लंबित मुकदमों का त्वरित निष्पादन हो। इस कार्य हेतु युवा अधिवक्ता ही सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। क्योंकि उनकी कानूनी पढ़ाई–लिखाई तकनीकी ज्ञान पर आधारित विकसित है।

गौर करने की बात है कि हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लागू कर दिये गये हैं। युवा अधिवक्ता इससे पूरी तरह रुबरू हैं। सरकार चाहती भी है कि न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता तेजी से हो, तभी देश का सर्वागींण विकास होगा।

अभी हाल में सर्वोच्च न्यायलाय ने एक आदेश दिया है कि जो युवा कानून की पढ़ाई

पूरी करके बार कांउसिल ऑफ इंडिया से निबन्धित होते हैं और साथ अदालत में लगातार तीन साल तक प्रैक्टिस करते हैं, वही न्यायिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह युवा अधिवक्ताओं के लिए गौरव की बात है। अभी हाल में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि युवा अधिवक्ता को प्रति माह दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

आजकल अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। दो–तीन राज्यों ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनायें हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की जरूरत है, जो भारतीय संसद ही कर सकती है। युवा अधिवक्ताओं को यह दायित्व दिया जाना चाहिए कि वे भारत सरकार से इस संदर्भ में बातचीत करें।

सनद रहे कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में युवा अधिवक्ता सक्रिय थे। उन्हें आज भी सक्रिय होना है। यह समय की यथोचित मांग है। हमलोग इस बात से विदित हैं कि पत्रिका 'विधि विमर्श' अधिवक्ताओं के कल्याण एवं समाज के सर्वांगींण विकास में लक्ष्य बना कर हमेशा प्रस्तुत रही है। उक्त पत्रिका में युवा अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेख बराबर छपते रहे हैं।

केन्द्र सरकार का दृढ़ विश्वास है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जायेगा और विश्व की तीसरी बड़ी ताकत बनेगी। आज के युवा अधिवक्ताओं को इस बारे में मंथन करनाा होगा।

हमें याद करना चाहिए कि अदालती पेशा केवल जीविका का आधार नहीं है, बल्कि उससे आगे सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। जहां पर सकारात्मक संकल्प है, वही पर सर्वागींण विकास है।

साइबर अपराध (Cyber Crime)

जितेंद्र कुमार
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
सहायक संपादक, विधि विमर्श
मो0 – 9471852600

साइबर अपराध (Cyber Crime) क्या हैं

साइबर अपराध (Cyber Crime) किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को कहते हैं जिसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल अपराध करने या अपराध करने में मदद करने के लिए किया जाता है, जैसे हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी और मैलवेयर फैलाना, जिसका उद्देश्य अक्सर वित्तीय लाभ या डेटा चुराना होता है। यह ऑनलाइन होता है और इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, जिससे अपराधी और पीड़ित दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं.

साइबर अपराध के सामान्य प्रकार

हैकिंग (Hacking) : अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच बनाना और जानकारी चुराना।

फ़िशिंग (Phishing) : धोखे से संवेदनशील जानकारी (जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर) प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल या वेबसाइट भेजना।

मैलवेयर (Malware) : कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाने या डेटा चुराने के लिए वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर फैलाना।

पहचान की चोरी (Identity Theft) : किसी और की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करना।

रैंसमवेयर (Ransomware) : डेटा को एन्क्रिप्ट (encrypt) करके फिरौती मांगना।

स्पैम (Spam) : बड़ी मात्रा में अनचाहे ईमेल भेजना, अक्सर फ़िशिंग या मैलवेयर फैलाने के लिए।

मुख्य उद्देश्य

वित्तीय लाभः पैसे चुराना, फिरौती मांगना।

डेटा चोरीः व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी चुराना।

नुकसान पहुँचानाः सिस्टम या नेटवर्क को बाधित करना।

अफवाह फैलानाः समाज में अशांति या हिंसा फैलाना।

रिपोर्ट कैसे करें (भारत में)

आप भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

आप 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं.

साइबर अपराध को कैसे रोका जाए?

साइबर अपराध रोकने के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड (Strong & Unique Passwords) का इस्तेमाल करें, सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस को अपडेट रखें, संदिग्ध ईमेल/लिंक (Phishing) से बचें, सार्वजनिक वाई–फाई पर सतर्क रहें (VPN का प्रयोग करें), दो–कारक प्रमाणीकरण (2FA) का उपयोग करें, और संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन साझा न करें; साथ ही, डेटा का नियमित बैकअप (Backup) लें और किसी भी धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करें (जैसे हेल्पलाइन 1930)।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय (Personal Security Measures)

मज़बूत पासवर्डः हर अकाउंट के लिए अलग, लंबे और जटिल पासवर्ड (अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण) का प्रयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें।

सॉफ्टवेयर अपडेटः अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप्स और एंटीवायरस को हमेशा अपडेटेड रखें।

एंटीवायरस/फ़ायरवॉलः विश्वसनीय एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और उन्हें सक्रिय रखें।

फिशिंग से बचें : अनजाने ईमेल, मैसेज या पॉप–अप में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें; संदिग्ध अटैचमेंट डाउनलोड न करें।

टू–फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA): जहाँ भी संभव हो, 2FA या मल्टी–फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सक्षम करें।

संवेदनशील जानकारीः सोशल मीडिया या असुरक्षित साइटों पर अपनी निजी जानकारी (जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड) साझा न करें।

डेटा बैकअपः अपने जरूरी डेटा का नियमित रूप से बैकअप (बाहरी ड्राइव या क्लाउड पर) लें।

सार्वजनिक Wi&Fi: सार्वजनिक Wi&Fi का उपयोग करते समय सावधान रहें या VPN (Virtual Private Network) का प्रयोग करें.

घटना होने पर क्या करें (What to do in case of an incident)

बैंक/कार्ड : वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें.

पासवर्ड बदलें : प्रभावित खातों के पासवर्ड तुरंत बदलें, खासकर ईमेल और बैंकिंग के।

रिपोर्ट करें : किसी भी साइबर अपराध की शिकायत संबंधित अधिकारियों (जैसे (cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930) को तुरंत दर्ज करें।

बच्चों की सुरक्षा (Child Safety)

बच्चों को इंटरनेट के खतरों के बारे में शिक्षित करें और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखें.

साइबर क्राइम करने पर कितने साल की सजा होती है?

साइबर क्राइम में सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो कुछ महीनों से लेकर 3, 7 साल तक की कैद, और कभी–कभी आजीवन कारावास तक हो सकती है, साथ में जुर्माना भी होता है; जैसे हैकिंग के लिए 3 साल, ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए 7 साल तक, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े साइबर आतंकवाद के लिए आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, जो भारतीय IT अधिनियम 2000 और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत तय होती है।

सज़ा के कुछ उदाहरण (अपराध के प्रकार के अनुसार) :

हैकिंग और डेटा चोरी : कंप्यूटर सिस्टम में सेंधमारी या जानकारी चुराने पर 1 से 20 साल तक की जेल हो सकती है, यह अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है।

ऑनलाइन धोखाधड़ी : इसके लिए 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

साइबर आतंकवाद (धारा 66F) : राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने पर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है, यह एक गैर–जमानती अपराध है।

पोर्नोग्राफी (धारा 67A) : पहली बार अपराध करने पर 5 साल तक की जेल और दूसरी बार में 7 साल तक की जेल व जुर्माना हो सकता है।

साइबर अपराध के उपकरण रखना (धारा 66D) : इरादतन उपकरण रखने पर 3 साल तक की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना।

अपमान या धमकी (IPC की धारा 504, 506) : इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपमान या धमकी देने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना।

मुख्य बातः

सज़ा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) 2000 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत तय होती है।

अपराध जितना गंभीर होता है, सज़ा उतनी ही कड़ी होती है, और इसमें जुर्माना भी शामिल होता है।

नववर्ष, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

सतीश कुमार
अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय
मो0-8910921270

न्यायिक लोकतंत्र की रीढ़ :

न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की सशक्त भागीदारी

– एक संवैधानिक आवश्यकता और न्यायिक भविष्य का आधार

नीतीश कुमार सिंह
अधिवक्ता सह संयुक्त संपादक, विधि विमर्श,
मो0– 09934224104

भूमिका

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का सबसे सशक्त आधार उसकी न्यायिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था की जीवंतता अधिवक्ताओं की सक्रिय, नैतिक एवं संवैधानिक भूमिका पर निर्भर करती है। न्यायालय केवल निर्णय देने का मंच नहीं है, बल्कि यह संविधान, विधि और नागरिक अधिकारों के संरक्षण का केंद्र है। ऐसे में युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी न्यायिक प्रक्रिया को नई ऊर्जा, नवीन दृष्टिकोण और सामाजिक संवेदनशीलता प्रदान करती है। आज यह विषय केवल पेशेगत चर्चा का नहीं, बल्कि न्यायिक सुधार और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता का महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39। राज्य को यह दायित्व सौंपता है कि वह प्रत्येक नागरिक को समान रूप से न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करे। इस संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे विधिक सहायता केंद्रों, लोक अदालतों, विधिक जागरूकता अभियानों तथा निःशुल्क कानूनी सेवाओं के माध्यम से समाज के वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों को न्याय से जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार युवा अधिवक्ता Access to Justice को केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहारिक वास्तविकता बनाते हैं।

न्यायिक प्रक्रिया में व्यावहारिक एवं पेशेगत योगदान

आधुनिक न्यायिक व्यवस्था में युवा अधिवक्ता केवल बहस तक सीमित भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बल्कि वे शोधपरक ड्राफ्टिंग, नवीनतम न्यायिक निर्णयों के विश्लेषण, संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के सटीक प्रयोग तथा तकनीक–सक्षम न्याय प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ई–फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कानूनी शोध में उनकी दक्षता न्यायालयों की कार्यकुशलता को बढ़ा रही है। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बन रही है।

जनहित याचिका और न्यायिक सुधार में सक्रिय सहभागिता

न्यायिक सुधार की दिशा में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका विशेष रूप से जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से परिलक्षित होती है। पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष और प्रशासनिक मनमानी के मामलों में युवा अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिकाएं न्यायपालिका को समाजोन्मुखी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती रही हैं। इस प्रकार वे न्यायालय और समाज के बीच सेतु बनकर लोकतंत्र को सशक्त करते हैं।

युवा अधिवक्ताओं के समक्ष चुनौतियाँ एवं उनके कानूनी समाधान

न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के बावजूद युवा अधिवक्ताओं को अनेक व्यावहारिक, आर्थिक और संस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विधि शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्रारंभिक वर्षों में आय की अनिश्चितता, कार्य की कमी और पेशेगत अस्थिरता एक गंभीर समस्या के रूप में उभरती है, जिसके कारण कई प्रतिभाशाली युवा अधिवक्ता इस पेशे से विमुख होने को विवश हो जाते हैं। इस स्थिति से निपटने हेतु Junior Advocate Stipend Scheme, Advocate Welfare Fund तथा बार काउंसिल स्तर पर आर्थिक सहायता योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, अनुभव और मार्गदर्शन का अभाव भी युवा अधिवक्ताओं के विकास में बाधक बनता है। न्यायालयीन व्यवहार, बहस–कौशल और पेशेगत नैतिकता केवल सैद्धांतिक अध्ययन से विकसित नहीं हो सकती। इस समस्या के समाधान हेतु Mentorship Program, वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिवक्ता सहयोग प्रणाली और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। वहीं, अवसरों की असमानता, बार एसोसिएशन की आंतरिक राजनीति और मानसिक दबाव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पारदर्शी प्रशासन, निष्पक्ष अवसर वितरण तथा अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा और कल्याण नीतियों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों का समाधान विधिक और संस्थागत स्तर पर किया जाता है, तो न्यायिक प्रणाली को एक सशक्त और संतुलित नेतृत्व प्राप्त होगा।

पेशेगत नैतिकता और Bar-Bench संबंध

युवा अधिवक्ताओं की भूमिका केवल संख्या में वृद्धि से नहीं, बल्कि उनके आचरण और नैतिकता से निर्धारित होती है। Advocates Act, 1961 और Bar Council of India Rules अधिवक्ताओं को पेशेगत मर्यादा, न्यायालय के प्रति सम्मान और मुवक्किल के हितों की रक्षा का दायित्व सौंपते हैं। जब युवा अधिवक्ता इन मूल्यों को आत्मसात करते हैं, तब Bar-Bench संबंध अधिक सुदृढ़ होते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ता है।

निष्कर्ष

न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की सशक्त भागीदारी केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि न्यायिक लोकतंत्र के भविष्य की अनिवार्यता है। वे संविधान की आत्मा के संवाहक, समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज और न्यायिक सुधार के अग्रदूत हैं। यदि आज उन्हें अवसर, मार्गदर्शन और संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाए, तो भारत की न्याय प्रणाली अधिक संवेदनशील, प्रभावी और लोकतांत्रिक बन सकती है।

"न्यायपालिका का भविष्य सुरक्षित करना है, तो युवा अधिवक्ताओं का वर्तमान सशक्त करना ही होगा।"

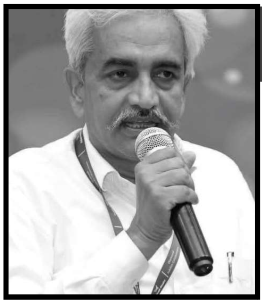

न्यायपालिका में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है

प्रेम कुमार
महासचिव
बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, पटना
मो0—9934085354

युवाओं में कानून की पढ़ाई के प्रति आकर्षण बढ़ा है यह न्यायपालिका के लिए शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है इसे साकार करने में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। आज भी देश के 80 प्रतिशत आम आवाम को कानून की कोई जानकारी नहीं है। देश युवा अधिवक्ता अभियान चलाकर लोगो को विधि के प्रति जागरूक करेगे।

अतीत में हमारी युवा शक्ति अनेक विषंगतियो तथा विघटनकारी शक्तियों से जूझती रही वही दासतां के घातक प्रभाव तथा सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक आघातों से टूटकर अवैध कार्यो में लिप्त होने लगी जी भारतीय समाज और राष्ट्र के लिए अशुभ संकेत है। आज का युवा इसलिए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है ताकि उसे अच्छी नौकरी मिले जिससे वह भोगपरक जीवन जीने का आनंद उठाया जा सके। इसी आंनद की तलाश में असफल होने पर वह वह अवैध तरीके से धन कमाने की चेष्टा करता है जो उसके जीवन मे जहर घोलता है ।अगर युवा रोजगार विहीन है तो परिवार और समाज उसे प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करता है, जिससे वह जीवन से निराश हो विघटनोमुखी हो जाता है। सरकारी नीतियों की निरीहता सतह से दुरता दर्शनीय बनकर युवाओ को निष्क्रिय बनाने में कोई कसर नही छोड़ता है। सरकारी संस्थाओं में युवा विकास का राग तो अलापा जाता है लेकिन वास्तव में वहां सकारात्मकता नजर नही आती। आज का युवा को इतना विभाजित, कुंठित और लाचार बना दिया गया है कि उसकी शक्ति को संगठित होना दुष्कर प्रतीत होता है। देश के भविष्य से सीधे जुड़ा युवा आज अनिश्चितता के चौराहे पर खड़ा है किसी की भी उंगली पकड़ को चलने को तत्पर है इसे सही निर्णय लेना कौन सिखाएगा। आज सभी को युवा पीढ़ी से शिकायत है कि वह दिशाहीन हो चुकी है, या नौजबानो की पूरी पीढ़ी पाश्चात्य रंग में रंग चुकी है। बड़ो का मान सम्मान करना भूल गई है और भी कई ऐसे इल्जाम युवाओं पर लगाया जा रहा है लेकिन सवाल उठता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनोचिकित्सको और समाज सेवियों के अनुसार खाली दिमाग शैतान का घर होता है काफी हद तक भारतीय नौजवान इसी रोग के शिकार हो चुके है। विडंवना यह है कि राष्ट्रहित से सीधे जुड़ी इस बेरोजगारी की समस्या को कोई गम्भीरता से नही ले रहा है। हैरत की बात है कि एक चपरासी का पद निकलता है तो उसके लिए हजारों आवेदन आते है इनमें से सैंकड़ो उम्मीदवार एमए, बीटेक, एमफिल और पीएचडी होते है। आज का युवा ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से निकलने का हर रास्ता बंद गली पर खत्म होता नजर आता है। इनके हाथों में डिग्रियां है मन मे कुछ कर दिखाने की हसरत है पर इनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरे साफ दिखाई दे रहा है। देश के दो सौ विश्वविद्यालयो से हर वर्ष बीस हजार लोग पीएचडी करते है। हर वर्ष लाखो लोग स्नातक कर निकलते है, पर बमुश्किल से चार पांच प्रतिशत को ही नौकरी मिल पाती है। बाकी बचे हुए स्नातक और पीएचडी प्राइवेट स्कूलों में चार पांच हजार रुपये महीना पर पढ़ाने को अभिशप्त है। वह भी तीन सालों से कोरोना का भेंट चढ़ चुका है। घर घर ट्यूशन कर के अपने परिवार के पेट पालने को विवश है ।

आज के युवा युवतियों में रचनात्मक ऊर्जा और वौद्धिक प्रतिभा प्रचुर है पर रोजगार के अवसर नगण्य है। युवा वर्ग ईमानदारी के साथ कर्तव्य पालन करते हुये जिनगी गुजरना चाहता है। मगर वर्तमान व्यबस्था ऐसी है कि इंसान को ईमानदारी से जीवन मूल्यों के साथ आसानी से जीवन गुजरने नही देती। सवाल यह है कि अगर योग्य नवयुवकों और नवयुवतियों को रोजगार नही मिलेगा तो, वो कहा जायेगे, क्या करेंगे, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी कैसे वहन करेगे अपने पत्नी और छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे पाले, वर्त्तमान स्थिति यह है कि शासन ने सरकारी नौकरियों को लगभग फ्रिज कर दिया है, इस वजह से बेरोजगरो की भारी भीड़ सड़को पर खड़ी हुई है। उच्च शिक्षा के बाद भी नौकरी न मिल पाने से इनके दिल मे पूरी व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। निक्कम्मे पन और निठल्ले पन का एहसास दीमक की तरह इनकी प्रतिभा को चाटता जा रहा है। दो पैसे कमाने के पारिवारिक दवाव है। समाज के ताने बाने और व्यंग वान है ।नौकरियों के लिए बैंक ड्राफ्ट भरते भरते आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है ।इस वजह से युवा अपराध और हिंसा के दलदल में उलझ जाता है, तो कभी नशीले व्यसनों के गुलाम बनकर रह जाता है। शराब तस्करी तक करने से बाज नही आता।

युवा पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि इसे केंद्र में रखकर कभी किसी ने गहन चिंतन नही किया, न नीति आयोग ने, न ही शासन ने, न ही किसी राजनीतिक दलों ने कभी युवकों को बेरोजगारी भत्ते का झुनझुना थमाकर बहलाया जाता है तो कभी उसे ऋण उपलब्ध कराने का जुगनू दिखाकर फुसलाया जाता हैं, तो कभी रोजगार के लुभावने आंकड़े दिखाकर चुप कराया जाता हैं, पर इस दिशा में कोई ठोस पहल की जानी अभी बाकी है। आज पहली आवश्यकता यह है कि बेरोजगार युवाओ के भविष्य को लेकर प्राथमिकता के आधार पर राष्टीय स्तर पर सार्थक चिंतन किया जाए। क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ इस देश का भविष्य भी जुड़ा है। इस लिए आज युवाओं को सरकारी नौकरियों के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। प्रेम यूथ फाउंडेशन की ओर से चलाये जा रहे बेरोजगारी मुक्ति अभियान से जुड़े। यह सत्य है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद है, पर युवाओं को उनसे सर टकरा टकरा कर अपने आपको लहूलुहान नही करना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या हल जादू मंतर फुककर पल भर में कर देने जैसे सरकारी दावों से नही होगा। कटु सत्य तो यह है कि बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित होने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार स्वयं युवा वर्ग है। उसकी नौकरी ही करने की गलत मनोविर्ती है। अतः युवा वर्ग को अपनी इस मनोविर्ती मे परिवर्तन करना होगा। इस बेरोजगारी की पहाड़ से अपने आपको को टकराकर चूर चूर होने से बचने के लिए कानून की पढ़ाई कर लीगल एडवाइजर के रूप में सेवा दे सकते है और यह रोजगार का साधन बन सकता है ।

न्यायिक प्रक्रिया में युवा वकीलों की भूमिका

धनश्याम
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
संयुक्त संपादक, विधि विमर्श
मो0— 9162533006

परिचय

भारत में न्याय प्रशासन एक सामूहिक प्रयास है जिसमें जज, मुकदमेबाज और वकील शामिल होते हैं। इस ढांचे के भीतर, युवा वकील एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली भूमिका निभाते हैं। नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच पहले संपर्क बिंदु के रूप में, युवा वकील न केवल व्यक्तिगत हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि अदालतों के प्रभावी कामकाज और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में भी योगदान देते हैं।

वकीलों की वैधानिक स्थिति

भारत में कानूनी पेशा एडवोकेट्स एक्ट, 1961 द्वारा शासित होता है, जो वकीलों को न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य घटक मानता है। धारा 29 वकीलों को कानून का अभ्यास करने का विशेष अधिकार प्रदान करती है। धारा 30 सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष अभ्यास करने के अधिकार की गारंटी देती है। धारा 35 पेशेवर अनुशासन और नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

युवा वकील इस वैधानिक ढांचे के भीतर पेशे में प्रवेश करते हैं, पेशेवर विशेषाधिकारों और सार्वजनिक कर्तव्यों दोनों को ग्रहण करते हैं।

न्यायालय के अधिकारी के रूप में युवा वकील

वकील केवल अपने मुवक्किलों के एजेंट नहीं होते हैं बल्कि वे न्यायालय के अधिकारी होते हैं। **ओ. पी. शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वकील का कर्तव्य है कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करे और गरिमा, संयम और निष्पक्षता के साथ कार्य करे।

युवा वकीलों के लिए, इस भूमिका का मतलब हैरू ईमानदार और जिम्मेदार दलीलें और न्यायिक संस्थानों का सम्मान। उनका आचरण सीधे तौर पर न्याय वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना

युवा वकीलों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच में है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत, युवा वकीलों को अक्सर समाज के वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैनल में शामिल किया जाता है।

हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त कानूनी सहायता को संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग घोषित किया। इस प्रकार युवा वकील संवैधानिक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित कि गरीबी या अज्ञानता के कारण न्याय से वंचित न किया जाए।

संवैधानिक और जनहित याचिका में भागीदारी

युवा वकील जनहित याचिका (PIL) में सबसे आगे रहे हैं, जो भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र की एक विशिष्ट विशेषता है।

एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी की अवधारणा को उदार बनाया, जिससे बार के युवा सदस्यों को हाशिए पर पड़े समूहों की ओर से संवैधानिक अदालतों में जाने में सक्षम बनाया गया।

PIL में उनकी भागीदारी मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक और सामाजिक न्याय को मजबूत किया है ।

न्यायिक निर्णय में सहायता

न्यायिक निर्णय लेना वकीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। युवा वकील इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: कानूनी अनुसंधान, दलीलें तैयार करना, वरिष्ठ वकील और अदालतों की सहायता करना ।

स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम बृजेश्वर सिंह चहल मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावी न्याय, वकीलों की सक्षम सहायता पर निर्भर करता है, जो सभी स्तरों पर तैयारी और प्रोफेशनलिज्म के महत्व को उजागर करता है।

नैतिकता, अनुशासन और व्यावसायिक विकास

पेशेवर नैतिकता कानूनी पेशे की नींव है। **महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने नैतिक प्रशिक्षण और निरंतर कानूनी शिक्षा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, खासकर युवा वकीलों के लिए।

कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि वकालत एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, बल्कि न्याय के प्रति समर्पित एक नेक पेशा है।

निष्कर्ष

युवा वकील न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य हितधारक हैं। उनकी भूमिका व्यक्तिगत मुकदमों से परे संवैधानिक आदर्शों की रक्षा करने, न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने और निष्पक्ष न्याय में अदालतों की सहायता करने तक फैली हुई है। न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने और कानून के शासन की निरंतर जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए सलाह, संस्थागत समर्थन और नैतिक मार्गदर्शन के माध्यम से युवा वकीलों को मजबूत करना आवश्यक है।

नववर्ष, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

रिकेश सिन्हा
अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय
मो0-9835242960

न्याय प्रिय समाज बनाने में युवाओं की भूमिका

दीपक कुमार
सहायक संपादक
मो0— 7631193459

भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। यानि हमारा देश विश्व में युवा शक्ति का सरताज है।

युवावस्था जीवन काल की अति महत्वपूर्ण और सर्वाधिक सक्रिय अवस्था होती है । संसार को बदलने वाला विचार एवं भाव इन्हीं युवा शक्तियों के माध्यम से होकर गुजरे हैं। युवाओं में अपार शक्ति होती है और सतत ऊर्जा उमड़ती घुमड़ती रहती है। इसलिए उन्हें शक्ति का ज्वार भी कहा जाता है।

न्यायप्रिय समाज बनाने में यदि युवा वर्ग अपने भीतर निहित शक्तियों को सकारात्मक कार्यों में लगाता है तो उससे समाज का निर्माण होता है और नकारात्मक कार्यों में लगाव से विध्वंस होता है। युवा शक्ति यदि न्याय के लिए आवाज उठाता है तो यह सकारात्मक पहल होता है। तभी तो कहा गया है कि युवाओं के मजबूत कंधे पर ही मजबूत राष्ट्र टिकता है।

निःसंदेह नाश और नित्यता प्रकृति के दो विशिष्ट भौतिक गुण होते हैं। भौतिक पिंडों के धड़ तिरोहित हो जाते हैं लेकिन सत्कर्म की शाखा सदा सर्वदा लहलहाती रहती है।

हम सभी के सामने अनेको ऐसे युवाओं का उदाहरण है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर एक नया इतिहास बनाया और आज तक अमर है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद , देश की आजादी के लिए हंसते—हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद भगत सिंह, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले खुदीराम बोस सहित वे सारे युवा जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे युवाओं को लोग आज श्रद्धा से याद करते हैं।

समाज और देश के लिए कुछ नया करने वाले युवाओं की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में चारों ओर अनीति और अनाचार का बोलबाला है।

इस कठिन और विषम परिस्थिति में युवाओं की भूमिका सराहनीय हो जाती है। युवा अपनी ऊर्जा को यदि समाज हित में लगाते हैं तो उससे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना होती है। युवाओं का एक नया इतिहास बनता है।

जब—जब आफत का बादल मंडराया
युवा ही आगे जाकर छतरी फैलाया
फिर गरज रहा संकट के बादल धरती हो चुकी है घायल
जातिवाद, क्षेत्रवाद हावी है अपने देश में
भ्रष्टाचार और बेकारी फैला है आसुरी वेष में
कुछ करो, कुछ करो
आंखे खोल आहे भरो
सोने का अब वक्त नहीं है
बहुत कम लोग सख्त यहां है
आलसी छोड़कर करो त्याग और समय दान
तब बनेगा भारत महान।

युवाओं को न्याय प्रिय समाज बनाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। न्याय प्रिय समाज बनाने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के हक अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। मानव गरिमा के साथ प्रत्येक व्यक्ति जीवन जी सके। और यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो उसे सही समय पर सही न्याय मिल सके और दोषियों को सजा मिल सके।

युवा वर्ग को रचनात्मक समाज बनाने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। रचनात्मक समाज यानी

जहां ना होवे छोटे बड़ाई
मिलजुल रहे सब भाई—भाई
ऊंच—नीच का भेद न होवे
सुख की होवे डगर डगर
चलो बसाए नया नगर हम
चलो बसाए नया नगर।

आज युवा वर्ग अथक परिश्रम कर आगे बढ़ना चाहता है अपने सपने को साकार करने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करता है ।

लेकिन अधिकांश का सपना पूरा नहीं होता है क्योंकि समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा अनीति चल रहा है।

न्याय नाम की चीज नहीं अन्याय बढ़ता जाय रे

मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाय रे।

इस अनीति को युवा वर्ग ही दूर कर सकता है। गांव गांव में जागरण कार्य प्रारंभ करना चाहिए जिससे कि हमारा समाज उन्नत बन सके। युवा का मतलब कुछ नयापन करने की क्षमता हो। ऐसा उज्जवल देश बनाये जिसमें लोगों में एकता हो, लोग चरित्रवान हो , समाज में हिंसा न हो, सामाजिक और आर्थिक समानता हो और न्याय पर आधारित समाज हो ।

युवा आबादी यदि निष्पक्ष एवं स्वाभाविक रूप से आत्म चिंतन करेंगे की समाज और देश के लिए कुछ करना है तो देश का नव निर्माण जरूर संभव है ।

अंत में युवा वर्ग से कहना चाहूंगा
हर तरफ अंधेरा है दीप तू जलाता चल
रास्ते चमक उठे ऐसी रोशनी तु लुटाता चल

नववर्ष, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

अशोक कुमार
अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय
मो0-9110083075

नाम नहीं, विचारधारा है - मंगल पांडे

मनोज कुमार
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
मो0– 9939206327

कोई भी व्यक्ति केवल जन्म से नहीं, बल्कि अपने आचरण, संघर्ष, संकल्प और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से पहचाना जाता है। जीवन की वास्तविक महानता पदों से नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा और सेवा–भाव से मापी जाती है। ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है – मंगल पांडे ।

साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सार्वजनिक जीवन के उच्च शिखर तक पहुँचना संयोग नहीं, बल्कि लगातार परिश्रम, वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक अनुशासन का परिणाम होता है। मंगल पांडे का जीवन इसी सिद्धांत का सशक्त उदाहरण है। छात्र राजनीति से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा संगठन, सत्ता और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व की कसौटी पर खरी उतरती रही है।

राजनीति हो या शासन, कानून हो या स्वास्थ्य – हर भूमिका में उन्होंने पद को अधिकार नहीं, दायित्व माना। उनका व्यक्तित्व न केवल निर्णय लेने की क्षमता से युक्त है, बल्कि संवेदनशीलता, संवाद और संविधान के प्रति सम्मान से भी परिपूर्ण है।

वे उन लोगों से हैं जो भीड़ में चलने के बजाय दिशा तय करते हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी संस्थागत मूल्यों से समझौता नहीं करते। मंगल पांडे का सार्वजनिक जीवन यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति नहीं, उसका दृष्टिकोण इतिहास बनाता है।

प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा

9 अगस्त 1972 को बिहार के सीवान जिले के महाराजगंज (फिरोज बलिया) में एक किसान परिवार में जन्मे मंगल पांडे सादगी और श्रम के संस्कारों में पले–बढ़े। पिता अवधेश पांडे एवं माता प्रेमलता पांडे के मूल्यों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा महाराजगंज से तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा विज्ञान विषय में पूरी की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने संगठन और सार्वजनिक जीवन को ही अपनी ''वास्तविक पाठशाला'' बनाया ।

छात्र राजनीति से संगठन तक

1987 में एबीवीपी से जुड़कर उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। छात्र आंदोलनों, वैचारिक अभियानों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के माध्यम से वे भाजपा के विश्वसनीय कैडर नेता के रूप में उभरे। 1992 में भाजपा की सीवान जिला इकाई में कार्यकारी सदस्य बनने के साथ उनका पूर्णकालिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। इसके बाद युवा मोर्चा, जिला प्रभारी, राज्य सचिव और प्रदेश संगठन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (2013–2017)

18 जनवरी 2013 को उन्हें भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह वह दौर था जब पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन को जिला से बूथ स्तर तक सशक्त किया गया, 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक सफलता मिली ''हुंकार रैली'' जैसे बड़े राजनीतिक आयोजनों ने भाजपा को वैचारिक ऊर्जा दी।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे का कार्यकाल संकट प्रबंधन, संरचनात्मक सुधार और प्रशासनिक निर्णयों के लिए जाना जाता है, एक दशक से अधिक समय से बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के रूप में उनकी सेवाएँ राज्य की स्वास्थ्य नीतियों और सेवाओं में निरंतरता और विस्तार का प्रतीक रही हैं।

पहला कार्यकाल

2017 से 2022 :– 29 जुलाई 2017 से उन्होंने पहली बार बिहार सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह कार्यकाल 9 अगस्त 2022 तक जारी रहा, जब तक कि उस सरकार में कैबिनेट फेरबदल नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के विस्तार, अस्पताल सुविधाओं का आधुनिकीकरण और चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती पर काम किया। दूसरा कार्यकाल 2024 से 2025 (वर्तमान कैबिनेट तक) :–जनवरी 2024 में पुनः उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, और यह कार्यकाल फरवरी 2025 तक चला। फरवरी 2025 में उन्होंने कानून मंत्रालय (Law & Justice) का अतिरिक्त प्रभार भी ग्रहण किया। इस अवधि में भी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों, नीतिगत सुधारों और सेवा विस्तार के कई निर्णय लिए गए। तीसरा कार्यकाल नवंबर 2025 से वर्तमान तक :– 20

नवंबर 2025 को नए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नई कैबिनेट गठन के साथ मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस कार्यकाल में वे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही कानून मंत्रालय का दायित्व भी संभाल रहे हैं।

प्रमुख कार्य एवं पहलें:

कोविड– 19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य ढांचे का तीव्र विस्तार, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में अधोसंरचना सुधार, दवा आपूर्ति, ICU बेड, ऑक्सीजन और आपात सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँचाने पर जोर, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया, भले ही उन निर्णयों पर राजनीतिक व सार्वजनिक बहसें भी हुईं।

कानून मंत्री के रूप में भूमिका

20 नवंबर 2025 से कानून मंत्री के रूप में मंगल पांडे ने विभाग को प्रक्रिया–केंद्रित से परिणाम–केंद्रित दिशा में आगे बढ़ाने पर बल दिया है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग के साथ कानून मंत्रालय का दायित्व संभालते हुए उन्होंने नीतिगत संतुलन और प्रशासनिक अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कानून मंत्री के रूप में मंगल पांडे का दृष्टिकोण संवैधानिक अनुशासन, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग और प्रशासनिक पारदर्शिता पर केंद्रित रहा है।

कानून मंत्रालय में प्रमुख योगदान:

राज्य सरकार और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय, अभियोजन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में पहल, विधायी प्रक्रियाओं को संविधान सम्मत एवं समयबद्ध बनाने पर बल, न्यायिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों पर सक्रिय भूमिका, सरकारी मुकदमों की प्रभावी पैरवी और अनावश्यक वादों में कमी पर प्रयास, उनका मानना है कि ''कानून केवल दंड का माध्यम नहीं, बल्कि सुशासन का आधार है।'' प्रोसीक्यूशन सिस्टम की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण, लंबित मामलों की संख्या घटाने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार, विभागीय समन्वय से त्वरित कानूनी निर्णय, सरकारी वकीलों/पैनल की कार्यप्रणाली में सुधार, कानून–व्यवस्था से जुड़े मामलों में संवैधानिक संतुलन पर जोर बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया हैं।

राजनीतिक शैली और विचारधारा

मंगल पांडे की राजनीतिः– संगठन – केंद्रित, विचारधारा–आधारित, अनुशासन और निर्णय क्षमता पर आधारित, वे विवादों से नहीं घबराते, बल्कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हैं। आलोचना को वे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं, किंतु निर्णय लेने में स्पष्टता और दृढ़ता उनकी पहचान है।

निजी जीवन

वे पारिवारिक मूल्यों से जुड़े व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी गृहिणी हैं और उनका एक पुत्र है। निजी जीवन में सादगी, अनुशासन और अध्ययन उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।

निष्कर्ष

मंगल पांडे आधुनिक बिहार की राजनीति में उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संगठन से सत्ता और सत्ता से सेवा की अवधारणा में विश्वास रखती है। स्वास्थ्य और कानून जैसे संवेदनशील विभागों का दायित्व संभालते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया है कि राजनीति केवल भाषण नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है।

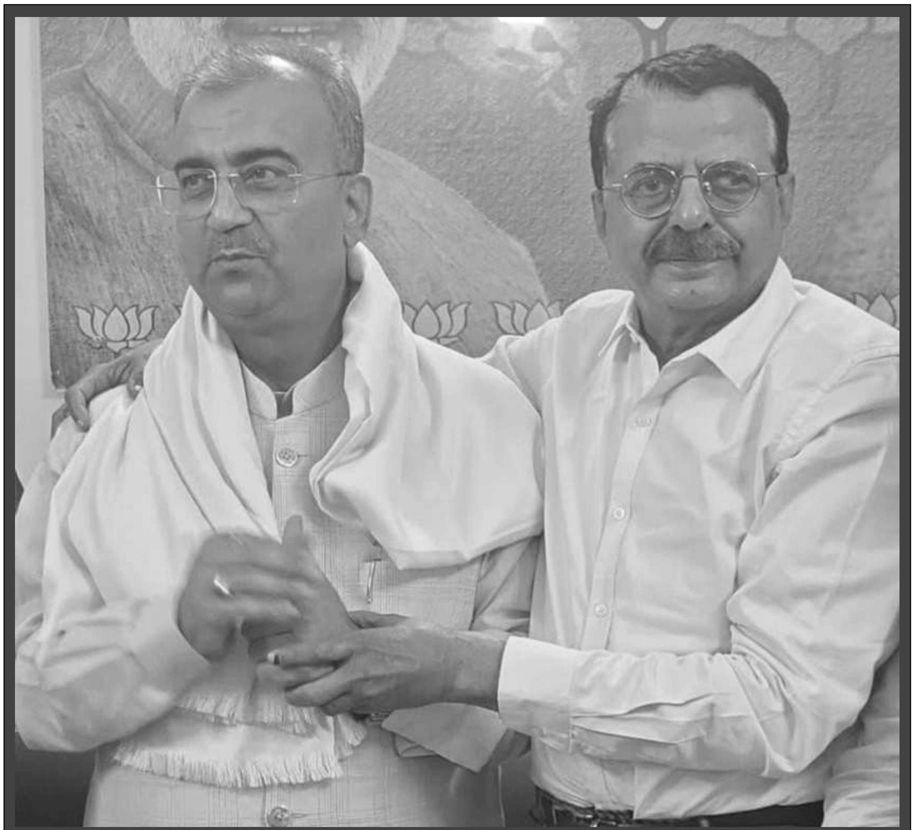

बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री आदरणीय
श्री मंगल पांडेय जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई।

– अवधेश कुमार पांडेय
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
प्रदेश प्रभारी, भाजपा विधि प्रकोष्ठ

Neeraj Kumar
Advocate, Patna High Court
Joint Editor (Vidhi Vimarsh)
Mob.: 6287971401

"Cyber Crime in India:

Legal Framework, Remedies, and Prevention Strategies."

India faces a wide range of cyber crimes due to the rapid growth of internet usage and digital transactions. Common types include hacking, identity theft, phishing, online fraud, cyberstalking, cyberbullying, and various financial scams.

Major Cyber Crimes in India are :-

1. **Hacking and Unauthorized Access:** Gaining unauthorized entry into computer systems to steal, alter, or damage data is one of the most prevalent cyber crimes. This includes attacks on government and private sector networks.
2. **Identity Theft**: Stealing personal information (such as Aadhaar, PAN, or bank details) to commit fraud or impersonation is widespread, especially with the rise in digital banking and e-commerce.
3. **Phishing and Scams:** Criminals use deceptive emails, fake websites, or messages to trick individuals into revealing sensitive information like passwords or credit card details.
4. **Online Fraud:** This includes credit card scams, online shopping fraud, business email compromise, and fraudulent transactions through net banking or ATMs.
5. **Cyberstalking and Cyberbullying:** Harassment, threats, or bullying through social media, emails, or messaging apps are increasingly reported, often targeting women and children.
6. **Child Pornography and Grooming:** The creation, distribution, or solicitation of child sexually abusive material is a serious crime, with specific laws to address it.
7. **Ransomware Attacks:** Malware is used to lock users out of their systems until a ransom is paid, often targeting businesses and healthcare institutions.
8. **Email and Social Media Crimes:** Hacking of email accounts, creation of fake profiles, and posting offensive or morphed content are also common cyber offenses.

HOW TO REPORT A CYBER CRIME IN INDIA ONLINE

To report a cyber crime in India online,

1. use the official National Cyber Crime Reporting Portal (https://cybercrime.gov.in)
2. Steps to File a Complaint OnlineVisit the National Cyber Crime Reporting Portal and click on "Report and Track" or "File a Complaint".Register with your name and a valid Indian mobile number. You will receive an OTP to verify your identity.
3. Choose the appropriate category (e.g., financial fraud, cyberstalking, harassment, or other cyber crimes).
4. Fill out the complaint form with accurate details of the incident, including date, time, platform used, and a description of the crime.
5. Upload relevant evidence such as screenshots, chat logs, transaction IDs, or emails.
6. Review the information and submit the complaint. You will receive an acknowledgment number to track your complaint status online.
7. Additional SupportFor women and children, there is a special anonymous reporting option available.
8. If you need immediate help, call the cyber crime helpline at 1930 or the national police helpline at 112.The portal is integrated with state police cyber cells for faster action and FIR registration.This process is available 24/7 and can be accessed from anywhere in India.

What information and documents do I need to file a complaint

To file a cyber crime complaint in India, you need to provide both personal details and evidence related to the crime. The exact documents required depend on the type of cyber crime, but the following are generally needed:

1. Personal InformationYour full name, contact details (mobile number and email), and address.
2. Government-issued photo ID (Aadhaar, PAN, passport, or driving license) and address proof (utility bill, voter ID, etc.).
3. Relationship to the victim, if different from the complainant. Evidence and Supporting Documents Screenshots of chats, emails, social media posts, or transaction records.
4. Bank statements (especially for financial fraud cases).
5. URLs of fraudulent websites or profiles.
6. Call logs, phone numbers, or details of suspicious links.

7. Copies of communications with the offender (emails, messages, or letters).
8. For email abuse: Copy of the alleged email, complete email header, and email trail.
9. For data theft: Copy of stolen data, copyright certificate, and employee details (if applicable).
10. Additional Details: A detailed description of the incident, including date, time, and nature of the crime.
11. Any other information that may help the investigation, such as suspect details (name, email, phone number, etc.).

Having all relevant evidence ready will help speed up the investigation and improve your chances of a successful resolution.

LEGAL REMEDIES FOR CYBER CRIME IN INDIA

Victims of cyber crime in India have several legal remedies available under the Information Technology Act, 2000 (IT Act) and the Indian Penal Code (IPC), as well as the newly introduced Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS).

Criminal Remedies : Offenders can be prosecuted under various sections of the IT Act, such as:.

Section 66: Hacking or unauthorized access (up to 3 years imprisonment and/or fine up to ₹5 lakh).

Section 66C: Identity theft (up to 3 years imprisonment and/or fine up to ₹1 lakh).

Section 66D: Cheating by impersonation (up to 3 years imprisonment and/or fine up to ₹1 lakh).

Section 67: Publishing obscene material (up to 5 years imprisonment and/or fine up to ₹10 lakh).

Section 66F: Cyber terrorism (life imprisonment in severe cases).IPC sections also apply for crimes like cheating, defamation, and criminal intimidation, with penalties ranging from fines to imprisonment.

Civil Remedies:

A. Victims can claim compensation for financial or reputational loss caused by cyber crimes.

B. Civil courts or adjudicating officers can award monetary damages, with a maximum of ₹1 crore for loss or damage due to cyber contraventions under Section 43 of the IT Act.

C. Injunctions can be sought to prevent further misuse of personal data or information.

Other Remedies:

A. Victims can file complaints with local police, cyber crime cells, or online through the National Cyber Crime Reporting Portal.

B. For cases involving intermediaries (like social media platforms), legal action can be taken if they fail to comply with court or government orders to remove harmful content.

C. Specialized tribunals and cyber appellate authorities handle complex cases and appeals.

Legal remedies ensure that victims can seek justice, recover losses, and prevent further harm through both criminal prosecution and civil compensation.

How to draft a strong FIR for an online fraud case

To draft a strong FIR for an online fraud case in India, ensure your complaint is clear, detailed, and supported by evidence. Here are the key elements to include:

Essential Information

1. Personal Details: Your full name, address, contact number, and email.
2. Date, Time, and Place: Specify when and where the fraud occurred, including the date and time of the transaction or communication.
3. Nature of Fraud: Clearly state the type of online fraud (e.g., UPI fraud, phishing, online shopping scam, etc.).
4. Description of Incident: Provide a chronological account of events, including how the fraud happened, any communication with the fraudster, and steps taken to prevent loss.
5. Suspect Details: If available, include the fraudster's name, email, phone number, bank account, or any other identifying information.
6. Financial Details: Mention the amount involved, transaction IDs, and the affected bank account or payment method.

Supporting Evidence

* Attach screenshots of fraudulent messages, emails, transaction receipts, or bank statements.
* Include call logs, chat logs, or any other relevant digital records.
* If applicable, mention the ticket ID from the National Cyber Crime Reporting Portal or the helpline (1930).

Legal Sections:

Reference relevant sections of the Indian Penal Code (IPC) and Information Technology Act, such as:

1. Section 420 IPC (Cheating)
2. Section 419 IPC (Impersonation)
3. Section 66C IT Act (Identity theft)
4. Section 66D IT Act (Cheating by impersonation).

Sample Structure

Begin with a clear subject line, e.g., "Complaint Regarding Online Fraud."Provide a concise summary of the incident. List all relevant details and evidence. End with a request for investigation and action. A well-drafted FIR with all these elements increases the chances of swift police action and recovery of losses.

Cyber law :

India's Privacy Framework in the Digital Age

Ms. Shuvshree Basu
5th year B.Sc. LL.B., Adamas University
Assistant Editor (Vidhi Vimarsh)

Introduction

With its unparalleled speed and scope, cyberspace has become the defining arena of the twenty-first century, transforming identity, business, governance, and human contact. What was formerly an auxiliary medium has evolved into the main infrastructure of contemporary life. With over 800 million internet users and an average daily internet usage of about seven hours, India is one of the world's most digitally engaged societies. This shift is especially noticeable there. Every day, Indian users, particularly the younger demographic - spend almost two and a half hours on social media, continuously creating, sharing, and storing enormous amounts of behavioral and personal data.

Even so there is an unpleasant contradiction between India's relatively new cyber-regulatory framework and its booming digital involvement. Although the Information Technology Act of 2000 established the framework for identifying electronic transactions and punishing cybercrimes, it was designed in a time that was ill-prepared to foresee the complex threats of today, including identity theft, algorithmic abuse, large-scale data breaches, and cross-border cybercrime. The Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, which aims to protect individual privacy and data responsibility, represents a major legislative progression. However, its practical influence is still diminished by insufficient enforcement and low public awareness.

By its very nature, cyberspace is a borderless, constantly connected network, which makes it both extremely powerful and extremely vulnerable. The increase in ransomware instances, financial scams, phishing assaults, and social engineering schemes highlights the increasing vulnerability of people, organizations, and the government. Cyber dangers becoming more than just technological issues as digitalization permeates education, banking, healthcare, and governance, taking on significant legal and societal ramifications.

As a result, cyber law in India is working to develop into a fundamental component of digital citizenship as well as a regulatory framework. If cyberspace is to continue to be a place of empowerment rather than exploitation in the years to come, it is critical to close the gap between quick digital consumption and strong legal protection and the cultivation of a digital ethos where freedom and security, expression and responsibility, innovation and protection co-exist.

Evolution of Cyber Law in India

India's swift digital revolution is intrinsically tied to the development of cyber law in that nation. A comprehensive legal framework covering electronic transactions, cyber offenses, and digital rights became essential as India moved from a paper-based economy to a digitally networked society.

Prior to 2000, internet activity was not adequately addressed by Indian legislation including the Indian Evidence Act of 1872 and the Indian Penal Code of 1860. Digital signatures were void, electronic records lacked legal recognition, and crimes like data theft and hacking lacked a clear legal foundation. After India's economic liberalization in the 1990s, internet usage quickly increased, making this legal void obvious.

India became the 12th nation in the world to implement a specific cyber legislation when it passed the Information Technology Act, 2000 to solve these shortcomings. The UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996 served as the main model for the Act, which reflected India's dedication to international norms for digital trade.

The primary goals of the IT Act were:

- Sections 3, 4, and 5: Legal

acceptance of digital signatures and electronic documents

- Enabling electronic commerce and e-government
- Cybercrime penalties Adjudicatory mechanisms' establishment

India had less than 10 million internet users when the law was passed; today, there are more than 800 million, demonstrating the original legislation's foresight as well as its limitations.

The Information Technology (Amendment) Act, 2008 significantly expanded the scope of cyber law by introducing provisions on:

- Identity theft (Section 66C)
- Cheating by personation (Section 66D)
- Cyber terrorism (Section 66F)
- Data protection and reasonable security practices (Section 43A)

This amendment reflected the shift from mere facilitation of e-commerce to cybersecurity and digital rights protection.

While the IT Act does not create new intellectual property rights, it plays a crucial role in protecting IP in cyberspace. Key sections include:

- Section 43: Penalizes unauthorized access, copying, or extraction of data, protecting proprietary databases and trade secrets.
- Section 43A: Imposes liability on companies for negligence in protecting sensitive personal data, indirectly safeguarding confidential IP assets.
- Section 65: Criminalizes tampering with computer source code, crucial for protecting software copyrights.
- Section 66: Addresses computer-related offences involving dishonest or fraudulent intent, applicable to digital piracy and IP theft.

These provisions complement traditional IP laws such as the Copyright Act, 1957 in the digital environment.

The first conviction under the IT Act of 2000 was in ***State of Tamil Nadu v. Suhas Katti (2004).*** The accused was accused of violating Sections 67 of the IT Act and other IPC laws by posting offensive and defamatory content online. The conviction was obtained in a comparatively short amount of time, proving the efficacy and enforceability of cyber law. This judgment affirmed the primary goal of the IT Act, which is to guarantee that electronic evidence is both legally admissible and actionable and that cyberspace is not a lawless environment.

An important turning point in India's cyber legal history is the Digital Personal Data Protection Act, 2023. The DPDP Act is centered on individual liberty, informational privacy, and accountability in data-driven government, in contrast to previous cyber laws that concentrated on electronic transactions and offenses. India's shift from a digitally increasing economy to a data-intensive society is reflected in its evolution. One of the biggest producers of data in the world today is India. Large amounts of personal data are gathered every day due to the more than 800 million internet users, the quick adoption of smartphones, and an ecosystem powered by social media, fintech, e-commerce, and edtech. Before the DPDP Act, Section 43A of the IT Act, 2000 and related regulations contained data protection duties, but there was no specific data protection statute in India. The inadequacy of India's framework was further revealed by worldwide developments, especially the EU's General Data Protection Regulation (GDPR) and an increase in data breach instances. Concerns about surveillance, personal data misuse, and the degradation of privacy in digital governance were brought up by the lack of a complete law.

The DPDP Act's philosophical and constitutional underpinnings stem from the Supreme Court's historic ruling in ***Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017),*** which established the right to privacy as a fundamental right under Article 21. Data erasure and data minimization were made possible by the Court's clear recognition of informational privacy and emphasis on an individual's right to control the distribution and retention of personal data.

Objectives of the DPDP Act

The Act seeks to:

- Protect personal data in digital

form

- Recognize individuals as Data Principals
- Impose accountability on Data Fiduciaries
- Enable consent-based and purpose-limited data processing
- Ensure remedies for misuse, over-retention, and unauthorized disclosure of data

The Data Principal has the right, under Sections 11 and 12 of the DPDP Act, to request the erasure of personal data that is no longer required for the purpose for which it was obtained or in cases where the consent that served as the legal foundation for such processing has been revoked. This clause clearly and affirmatively requires Data Fiduciaries to remove such data, unless the law requires them to keep it on file. Thus, the right to erasure serves as a legal counterbalance to the culture of constant data hoarding, upholding the idea of data minimization and preventing the covert build-up of digital dossiers. Although the DPDP Act incorporates this right within its structure even though it does not specifically use the poignant term "right to be forgotten." The Act allows people to break connections with out-of-date, irrelevant, or biased data through procedures like withdrawal of consent, obligatory erasure, and limitations on ongoing processing. Though tailored to Indian socio-legal realities, this strategy strikes a careful balance between individual liberty and justifiable public interest, echoing the constitutional ethos expressed in ***Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)*** and resonating with international jurisprudence like ***Google Spain v. AEPD.***

When taken as a whole, these rights guarantee that people won't be forced to live in a digital past forever and that cyberspace won't turn into an archive of perpetual remembering but rather a place where people can be healed, rejuvenated, and reinvented.

The Act's framework is structured around clear statutory obligations and enforceable rights:

- Sections 4–6 mandate lawful purpose and informed consent as the cornerstone of data processing.
- Section 8 imposes duties on Data Fiduciaries to adopt reasonable security safeguards and adhere to data minimization principles.
- Section 9 accords enhanced protection to children's personal data, recognizing their heightened vulnerability.
- Sections 11–14 enumerate the rights of Data Principals, including access, correction, erasure, and grievance redressal.
- Section 18 prescribes stringent financial penalties, extending up to ₹250 crore, underscoring the seriousness of compliance.

Connectivity to Digital Assets and Intellectual Property for contemporary data-driven businesses, the right to data deletion has significant ramifications. Algorithmic profiling tools, proprietary consumer databases, and AI training datasets, often considered significant intellectual assets, must now be examined through the prism of privacy compliance. In order to ensure that personal data incorporated into business models can be legitimately extracted or anonymized without impeding innovation or breaking the Act, organizations must balance their commercial interests with their legal obligations.

India creates a uniquely Indian framework while aligning itself with international data protection standards like the GDPR by embracing data erasure and the functional right to be forgotten. However, the Act's effectiveness is still being tested by issues including enforcement capability, technological constraints in guaranteeing total deletion, interpretational problems, and broad State exclusions.

In recognizing the rights to data erasure and informational self-determination, the DPDP Act articulates a principle of enduring significance: in a digital democracy, individuals must not become prisoners of their past data. The Act elevates privacy from a passive expectation to an enforceable right, affirming that technological progress, however relentless, must remain anchored in human dignity and constitutional values.

Recommendations

1. India has to make investments in forensic infrastructure, judicial training, and specialized cyber law enforcement agencies. Due to institutional flaws and technical complexity, conviction rates for cybercrime remain low

despite the thousands of complaints that are filed each year. To close this enforcement gap, committed cyber benches, skilled prosecutors, and judges with digital literacy are crucial.

2. The Data Protection Board of India must operate as an impartial, adequately funded body with well-defined procedural protections. To prevent the Act from remaining aspirational, transparent rule-making, time-bound grievance redressal, and publicly available compliance guidelines will be essential.

3. India has to establish algorithmic transparency standards as decision-making becomes more and more dependent on AI-driven systems. To avoid discrimination and arbitrariness, explainability and auditability should be required in cases where algorithms affect welfare distribution, employment, creditworthiness, or content visibility.

4. There is an urgent need for particular legislative rules addressing synthetic media manipulation because deepfake content is spreading at alarming rates. India's cyber regulatory response should include mandatory watermarking of AI-generated information, criminal penalties for creating malicious deepfakes, and quick removal procedures.

5. Without cyber consciousness, cyber law cannot be successful. Users must be taught about their rights to privacy, consent, data erasure, and online safety through national digital literacy programs, especially those aimed at schools, the elderly, and rural communities. The first line of defense against cyberattacks is an informed citizen.

6. India has to strengthen cooperation through bilateral treaties, data-sharing arrangements, and international cyber rules because cyberspace is borderless. Legal responses must work internationally, much as cybercrime syndicates do.

7. State exemptions under data privacy legislation must be strictly limited, reasonable, and subject to scrutiny, even when national security is a valid concern. A democracy cannot defend itself by undermining the same rights it aims to uphold.

Conclusion

India now lives in two republics at once: the republic of internet, which is vast, ethereal, and always awake, and the republic of geography and constitutional text. With more than 800 million internet users, billions of data points every day, and a governance architecture that is increasingly mediated by platforms, databases, and algorithms, cyberspace is now fundamental to Indian democracy rather than an add-on. From the facilitative optimism of the Information Technology Act, 2000 to the rights-oriented design of the Digital Personal Data Protection Act, 2023, India's cyber law has evolved, revealing a legal system that is trying to keep up with the rapid advancement of technology. The DPDP Act aims to prevent cyberspace from being soulless, while the IT Act tried to prevent it from being lawless.

By acknowledging data erasure, consent, informational privacy, and functional aspects of the right to be forgotten, India upholds a fundamental democratic principle: people must keep control over their digital identities. However, these laws' promise is still brittle. The discrepancy between statutory aim and lived reality is made clear by rising cybercrime statistics, frequent data breaches, opaque algorithmic systems, and inconsistent enforcement. Without implementation, privacy runs the risk of ceasing to be an enforceable right and instead becoming a rhetorical decoration. Therefore, the real test of India's cyber law framework is its capacity to convert principle into protection rather than its statutory elegance.

Cyber law must develop beyond reactive regulation into a culture of digital constitutionalism - one that strikes a balance between innovation and accountability, advancement, and human dignity, if India is to guarantee that digitalization continues to be a tool of empowerment rather than exploitation.

The future of India's digital destiny will be decided not merely by faster networks or smarter machines, but by the wisdom of the laws that govern them; and by the resolve to ensure that in an age of total connectivity, the human being stays at the center of the digital universe.

Deepfake Scams and Indian Law

Mahima Kumari
Advocate, Patna High Court
Assistant Editor (Vidhi Vimarsh)

Introduction

Artificial Intelligence–generated deepfakes have emerged as a serious threat to digital trust, enabling sophisticated scams involving impersonation, identity theft, and financial fraud. Unlike traditional cybercrimes, deepfakes exploit visual and auditory realism, making deception harder to detect and easier to weaponize. In India, such misuse has resulted in rising cases of online fraud, reputational harm, and so-called "digital arrest" scams, forcing courts to interpret existing criminal laws in a technologically evolving context.

The Rise of Deepfake-Enabled Fraud in 2025 :

Deepfakes have evolved from novelty to a potent tool for cybercriminals. Key trends include:

1. Digital Arrest and Extortion — Scammers impersonate law enforcement officials via video calls, using deepfake voices/videos to accuse victims of crimes and extort money under threat of arrest. Losses in Delhi alone exceeded ₹1,200 crore in 2025.
2. Public Figure Impersonation Scams — AI-based impersonation of public figures to induce trust and execute financial fraud.
3. Non-Consensual Content — Deepfake explicit content and extortion targeting individuals, particularly women.
4. Voice Cloning and Social Engineering — AI clones voices for romance scams, executive impersonation (Business Email Compromise), or family distress calls.

Legal Framework Applicable to Deepfake Scams

1. Information Technology Act, 2000

Section 66D: Cheating by personation using computer resources — the primary provision invoked in deepfake-enabled frauds.

Section 66C: Identity theft through fraudulent use of electronic signatures or digital identifiers.

Section 66E: Violation of privacy through unauthorized capture or transmission of images.

Sections 67 & 67A: Applicable where deepfakes involve obscene or sexually explicit content.

2. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 — Replaces the IPC and includes:

Section 318/319 → Cheating by personation.

Section 336 → Forgery for harming reputation.

Section 356 → Defamation via electronic means.

Section 111 → Organised crime provisions for syndicated fraud.

Courts have invoked these in 2025 cases, such as injunctions for celebrities like Akshay Kumar, Ankur Warikoo, and Sadhguru against deepfake misuse. The Delhi High Court has ordered platforms to remove content, recognising deepfakes as privacy violations under Article 21.

3. The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) adds layers by requiring consent for biometric data processing, potentially covering deepfake training data.

In October 2025, amendments to the IT (Intermediary Guidelines) Rules mandated labeling of synthetic content and swift removal, imposing greater liability on platforms.

Judicial Response: Supreme Court and High Courts

The Hon'ble Supreme Court has expressed concern over rising digital arrest and impersonation scams, noting that misuse of technology to imitate law-enforcement or judicial authority directly undermines public trust in the justice system and requires urgent legal and institutional attention.

High Courts, including the Patna High Court, have intervened in cases involving AI-generated content, emphasising the protection of privacy, dignity, and reputation under Article 21 of the Constitution. Judicial directions for takedown of harmful synthetic media reflect a growing recognition that existing cyber and criminal laws must be purposefully interpreted to address emerging AI-driven offences.

Conclusion

Deepfake-enabled fraud exposes serious gaps in India's existing cyber and criminal laws. While provisions under the IT Act and the Bharatiya Nyaya Sanhita offer temporary remedies, they remain inadequate to address the scale and sophistication of AI-driven offences. Judicial concern, particularly from the Hon'ble Supreme Court, underscores the urgent need for targeted legislation, stronger enforcement mechanisms, and greater technological readiness to effectively combat deepfake scams.

CNLU Patna Convocation after six years: CJI

Dr. Shivji Prasad
Co-Editor (Vidhi Vimarsh)
Mob.: 9334118211

The Chief Justice of India Justice Surya Kant delivered the Convocation Address at Chanakya National Law University (CNLU), Patna today. The Convocation was special as it was held after six years, covering six batches of students. Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice Rajesh Bindal, Judges of the Supreme Court of India also graced the occasion. Sunil Kumar, Education Minister, Government of Bihar, attended as the Guest of Honour. The Chief Justice of India appreciated the Vice-Chancellor for his student-centric administration without compromising intellectual rigour. At the outset of his Convocation Address, the CJI announced that the State Government has allocated seven acres of land adjacent to the University for its expansion, expressing confidence that with the support of the State Government, necessary infrastructure on this land would be constructed soon.

Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant on Saturday said that “law draws its legitimacy from the people it protects”. “Law is not just for those who can afford it, but for anyone who is in dire need of it,” he said delivering the Convocation Address at the convocation ceremony of Chanakya National Law University (CNLU), Patna.

In his detailed 41-page University Report, Prof. Faizan Mustafa, Vice-Chancellor, Chanakya National Law University, highlighted the recent academic, research, and institutional achievements of the University. He emphasised that in recent years, CNLU has successfully attracted faculty members and professionals who are graduates of globally reputed universities in the USA, UK, Italy, and Germany, with a conscious effort to reverse brain drain and encourage “Ghar Vapsi” of the best Bihari talent.

The **Centre for Cyber Security and Digital Forensics** was inaugurated by the Chief Justice of India during the convocation. Prof. Mustafa stated that the Centre now empowers the University to train police officers of the entire State of Bihar in digital forensics.

A new Endowment "The Mohan Ahuja Memorial Gold Medal for Topper in Constitutional Law" for the Master of Laws (LL.M.) course has been instituted for in the year 2025. Ms. Kshama Singh, is eligible for the certificate of merit under this category for the session 2024-2025 and will be awarded with "The Mohan Ahuja Memorial Gold Medal for Topper in Constitutional Law" given by Dr. Vinay Ahuja, Director Mohan Law House.

Article 21 and the Welfare State

Satish Kumar
Advocate, Patna High Court
Mob.: 8910921270

The Constituent Assembly conceived the idea to make India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic country and the Constitution of India contains various provisions to secure justice which includes social justice, economic justice as well as political justice for all its citizens. A central mechanism through which this vision of a Welfare State is realised is Article 21 which guarantees the right to life and personal liberty to everyone. Though Article 21 is placed among Fundamental Rights, its judicial interpretation through judicial activism has transformed it into a powerful instrument for enforcing the welfare obligations of the State. The connection between Article 21 and the welfare State lies in the understanding that life is meaningless without basic socio-economic conditions necessary for human dignity. A Welfare State is one in which the government assumes responsibility for ensuring the minimum conditions of a dignified life for its citizens. This includes access to food, shelter, health, education, employment, social security and a healthy environment. Unlike a laissez-faire State, a Welfare State actively intervenes to reduce inequality and protect vulnerable sections of the society. The Indian welfare model is constitutionally rooted in its Preamble, Directive Principles of State Policy (Part IV), Fundamental Rights (Part III) particularly Article 21 of our Constitution of India.

Article 21 has been judicially expanded to impose positive duties on the State. This shift is crucial in linking Article 21 with the Welfare State. The Supreme Court of India has repeatedly held that the right to life does not mean mere animal existence but it includes the right to live with human dignity which necessarily requires the fulfillment of basic socio-economic needs for every citizen of India. The evolution of Article 21 came with Maneka Gandhi vs. Union of India (1978) case which broadly changed the approach rejecting the narrow interpretation earlier adopted in A.K.Gopalan vs. State of Madras (1950) case. It transformed Article 21 from a procedural safeguard into a dynamic source of human rights.

In Francis Coralie Mullin v. Administrator, UT of Delhi (1981), the Supreme Court of India held that the right to life includes the right to live with human dignity this interpretation directly aligns Article 21 with the Welfare State's obligation to ensure minimum living standards. In Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985), the Supreme Court recognized the right to livelihood as an integral part of Article 21, observing that deprivation of livelihood would lead to deprivation of life itself. A Welfare State is duty bound to protect public health. In Parmanand Katara v. Union of India (1989) and Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal (1996), the Court held that the State has a constitutional obligation under Article 21 to provide timely medical treatment. Failure of public hospitals was held to be a violation of the right to life. In Chameli Singh v. State of Uttar Pradesh (1996), the Court emphasized that the right to shelter includes adequate living space, sanitation and access to civic amenities. This interpretation strengthens the welfare obligation of the State to provide housing and urban infrastructure. Although the right to education was later explicitly recognized under Article 21A, earlier judgments treated education as part of Article 21, recognizing it as essential for the development of human personality and social welfare. Environmental protection is integral to a welfare State. In Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) and M.C. Mehta v. Union of India, the Court held that the right to a pollution-free environment flows from Article 21, emphasizing sustainable development as a welfare objective.

The Directive Principles of State Policy (Articles 38, 39, 41, 42, 47) reflect the welfare aspirations of the Constitution. The judiciary has harmonized Part III and Part IV by reading Directive Principles into Article 21, thereby making welfare goals judicially enforceable. This harmonization reflects the understanding that Fundamental Rights without social welfare are illusory and welfare policies without enforceable rights lack accountability. Article 21 has been used to protect Bonded labourers, Slum dwellers, Prisoners, Women and children, Persons with disabilities through Public Interest Litigation, courts have enforced welfare measures such as food security, rehabilitation, humane working conditions and access to justice. In the digital and technological age, the welfare State must also protect Informational privacy, Health data, Access to essential services. The recognition of the right to privacy in Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) strengthens welfare governance by ensuring that State welfare measures respect individual dignity and autonomy.

Article 21 serves as the constitutional bridge between Fundamental Rights and the Welfare State. By expanding its scope to include socio-economic rights, the Indian judiciary has transformed Article 21 into an enforceable guarantee of welfare. It ensures that the idea of a Welfare State is not confined to policy declarations but is realized through constitutional accountability. In essence, Article 21 makes the welfare vision of the Constitution by ensuring that life is lived with dignity, security and social justice, making it the cornerstone of India's constitutional welfare framework.

JAGO GRAHAK JAGO

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस :

डिजिटल भ्रमजाल के बीच अधिकारों की नई जंग और तंत्र की कसौटी

रजनीकांत
– विधि विमर्श डेस्क

हर साल 24 दिसंबर को हम 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' मनाते हैं। यह वही ऐतिहासिक तारीख है जब 1986 में उपभोक्ताओं को पहली बार कानूनी संरक्षण का कवच मिला था। लेकिन आज, लगभग चार दशक बाद, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक यक्ष प्रश्न सामने खड़ा होता है– क्या यह दिवस केवल एक सरकारी औपचारिकता बनकर रह गया है, या वास्तव में यह भारतीय ग्राहक के सशक्तीकरण का उत्सव है? आज का ग्राहक 1986 का ग्राहक नहीं है जो केवल 'मिलावटी राशन' या 'कम वजन' से जूझ रहा था। आज का ग्राहक एक 'डिजिटल नागरिक' है, और उसका शोषण अब तराजू के बाट से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम (Algorithm), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा के खेल से हो रहा है।

शोषण का बदलता स्वरूपः 'डार्क पैटर्न' और अदृश्य बेड़ियां बाजार का चरित्र बदल चुका है। ई–कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट की सुविधा के साथ–साथ शोषण के नए और जटिल तरीके सामने आए हैं। आज ग्राहकों को 'डार्क पैटर्न' (Dark Patterns) के जरिए फंसाया जा रहा है, जहां वेबसाइट्स जानबूझकर ऐसा डिजाइन बनाती हैं कि ग्राहक न चाहते हुए भी सामान खरीद ले या कोई सब्सक्रिप्शन ले ले। फ्लैश सेल की नकली जल्दबाजी, 'ड्रिप प्राइसिंग' (अंत में छिपे हुए शुल्क जोड़ना), और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भ्रामक विज्ञापन, ये आज के शोषण के हथियार हैं। फ्लैश सेल (Flash Sale) एक सीमित समय के लिए चलने वाला ऑफर है जिसमें कंपनियों द्वारा उत्पादों पर भारी छूट (80% तक) दी जाती है, ताकि ग्राहक तुरंत खरीदारी करने के लिए प्रेरित हों और ब्रांड्स की बिक्री व इन्वेंट्री तेजी से बढ़े, यह कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चलती है। ड्रिप प्राइसिंग (Drip Pricing) एक मार्केटिंग रणनीति है जहाँ किसी उत्पाद या सेवा की पूरी कीमत शुरुआत में नहीं दिखाई जाती, बल्कि खरीदने की प्रक्रिया के दौरान धीरे–धीरे अतिरिक्त शुल्क (जैसे बुकिंग फीस, टैक्स, हैंडलिंग चार्ज) जोड़े जाते हैं, जिससे अंतिम कीमत शुरुआती विज्ञापन मूल्य से काफी ज्यादा हो जाती है और ग्राहक भ्रमित होकर या पहले ही काफी निवेश कर चुके होने के कारण अंततः खरीद लेता है। यह उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कम कीमत दिखाने और बाद में छिपे हुए शुल्क जोड़ने का एक तरीका है, जिससे कीमतों की तुलना करना मुश्किल हो जाता है।

डेटा गोपनीयता (Data Privacy) का उल्लंघन अब सामान्य बात हो गई है। हम मुफ्त ऐप्स के बदले अपनी निजता बेच रहे हैं, और हमारी ही पसंद–नापसंद का इस्तेमाल हमारे खिलाफ विपणन युद्ध में किया जा रहा है। डेटा गोपनीयता, जिसे सूचना गोपनीयता भी कहा जाता है, डेटा सुरक्षा का वह पहलू है जो डेटा के उचित प्रबंधन से संबंधित है : डेटा के संग्रह, भंडारण और प्रसार के तरीके पर केंद्रित। इसमें डेटा को अनधिकृत पहुँच से बचाना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि डेटा का उपयोग व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाए।

केंद्रीय कानून सशक्त, पर प्रशासन नतमस्तक क्यों? भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का गठन, भ्रामक विज्ञापनों पर दंड, और ई–कॉमर्स के लिए कड़े नियम शामिल हैं।

कागज पर यह कानून दुनिया के बेहतरीन कानूनों में से एक है। लेकिन विडंबना यह है कि कानून की धार को प्रशासन की 'उदासीनता' ने कुंद कर दिया है। आयोगों में रिक्तियांः जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों में जजों और सदस्यों के पद महीनों खाली रहते हैं। 'तारीख पे तारीख' की संस्कृति ने उपभोक्ता अदालतों को भी दीवानी अदालतों जैसा सुस्त बना दिया है। बुनियादी ढांचे का अभावः डिजिटल इंडिया के दौर में भी कई उपभोक्ता फोरम फाइलों के अंबार और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ई–दाखिल की जटिलताः घर बैठे शिकायत दर्ज करने की 'ई–दाखिल' व्यवस्था अभी भी आम ग्रामीण ग्राहक की समझ और पहुंच से दूर है। जब प्रशासन का तंत्र ही सुस्त हो, तो एक अकेला ग्राहक विशाल कॉर्पोरेट कंपनियों से कैसे लड़ सकता है? आशा की किरणः कुछ ऐतिहासिक निर्णय इन तमाम अंधेरों के बीच न्यायपालिका और कुछ आयोगों ने उम्मीद के दीये जलाए हैं।

हाल के वर्षों में कुछ बेहतरीन निर्णय आए हैं :
सेवा शुल्क (Service Charge): रेस्टोरेंट द्वारा जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' माना गया।

बिल्डर–बायर्स संघर्ष : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट देने में देरी होने पर बिल्डर को मुआवजा देना ही होगा, और एकतरफा एग्रीमेंट मान्य नहीं होंगे।

मेडिकल नेग्लिजेंस : अस्पतालों को जवाबदेह ठहराते हुए भारी मुआवजे के आदेश दिए गए हैं।

ये निर्णय सिद्ध करते हैं कि यदि ग्राहक धैर्य के साथ लड़े, तो जीत संभव है।

समाज और ग्राहक संगठनों की भूमिका : केवल नारा नहीं, 'दबाव समूह' बनना होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता तभी है जब हम इसे 'जागरूकता सप्ताह' से आगे ले जाएं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जैसे संगठनों की भूमिका आज और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हमें केवल शिकायत केंद्र नहीं बनना है, बल्कि एक 'नीतिगत दबाव समूह' (Policy Pressure Group) के रूप में उभरना होगा।

सामूहिक कार्रवाई (Class Action) : अब समय आ गया है कि छोटे–छोटे नुकसान के लिए अलग–अलग लड़ने के बजाय, 'क्लास एक्शन सूट' के माध्यम से बड़ी कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जाए। 'क्लास एक्शन सूट' (Class Action Suit) या सामूहिक मुकदमा एक कानूनी तरीका है जिसमें एक ही तरह से पीड़ित लोगों का एक बड़ा समूह, अपनी तरफ से कुछ लोगों (प्रतिनिधियों) के जरिए, किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ एक ही मुकदमे में एक साथ मुकदमा दायर करता है, खासकर तब जब उनके पास अलग–अलग मुकदमा करने के लिए पर्याप्त संसाधन न हों, जिससे कानूनी प्रक्रिया सस्ती और कुशल बन जाती है, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 245 के तहत भारत में भी इसका प्रावधान है।

डिजिटल साक्षरता :

डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) का मतलब डिजिटल दुनिया में जानकारी को ढूंढने, समझने, उपयोग करने, बनाने और दूसरों के साथ साझा करने की क्षमता है, जिसमें तकनीकी कौशल, महत्वपूर्ण सोच और डिजिटल उपकरणों (जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट) का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग शामिल है, ताकि व्यक्ति डिजिटल समाज में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। संगठनों को अब गांवों में जाकर केवल कानून नहीं, बल्कि डिजिटल सुरक्षा और साइबर ठगी से बचने के उपाय भी सिखाने होंगे।

नैतिकता का आग्रह : समाज को यह समझना होगा कि 'बिल मांगना' केवल अधिकार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान है। टैक्स चोरी रोकना भी ग्राहक धर्म है।

निष्कर्ष :

औपचारिकता या संकल्प? अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस केवल सेमिनार करने, माला पहनाने और भाषण देने तक सीमित रह गया, तो यह उन करोड़ों ग्राहकों के साथ अन्याय होगा जो न्याय की आस में बैठे हैं। सरकार के लिए यह दिवस अपने तंत्र (System) के 'ऑडिट' का दिन होना चाहिए कि आखिर मामले पेंडिंग क्यों हैं? और हम ग्राहकों के लिए यह दिवस 'संकल्प' का दिन होना चाहिए कि हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। याद रखिए, एक जागरूक ग्राहक ही एक ईमानदार बाजार और विकसित राष्ट्र की नींव रखता है। शोषण का विरोध करना केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। 'जागो ग्राहक जागो' अब केवल नारा नहीं, बल्कि डिजिटल युग में अस्तित्व बचाने की चेतावनी है।

''बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में, जहां ग्रामीण आबादी अधिक है, वहां नकली दवाओं, खाद–बीज में मिलावट और बैंकिंग सेवाओं में गड़बड़ी की समस्याएं विकराल हैं। यहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे पटना या रांची के एसी कमरों से निकलकर प्रखंड स्तर तक उपभोक्ता संरक्षण को पहुंचाएं।''

नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन

नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी (NOU) के परिसर में 'अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह–2026' के बैनर तले दो दिवसीय भव्य सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस गौरवशाली कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता और कानून जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले देश–विदेश के प्रख्यात विद्वानों को सम्मानित किया गया। समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभूतियों के कार्यों को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना था।

इस गरिमामय समारोह में राजनीति और अकादमिक जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद और मॉरीशस के पूर्व उप–प्रधानमंत्री हरीश बुधु की धर्मपत्नी डॉ. सरिता बुधु उपस्थित रहीं। उनके साथ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजू लामा और थाईलैंड के थाई मंदिर के प्रधान डॉ. पी. सी. चंदा ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

समारोह का विशेष आकर्षण पटना हाई कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता अमित कुमार सिंह का सम्मान रहा। कानून के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान, विधिक सेवाओं के प्रति उनकी निष्ठा और सामाजिक दायित्वों के उत्कृष्ट निर्वहन के लिए उन्हें 'अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार समारोह–2026' से नवाजा गया। यह सम्मान न्याय व्यवस्था के प्रति उनके सतत समर्पण और कानूनी क्षेत्र में उनकी बढ़ती साख को रेखांकित करता है।

सम्मान प्राप्त करने के बाद अधिवक्ता अमित

अधिवक्ता अमित कुमार सिंह हुए सम्मानित

कुमार सिंह ने आयोजन समिति और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि हैं, बल्कि यह समाज और न्याय व्यवस्था के प्रति अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

कृष्ण कन्हैया लॉ फर्म एण्ड लिगल सर्विसेज
K.K. LAW FIRM AND LEGAL SERVICES
K.K. LAW FIRAM AND LEGAL SERVICES ★PATNA★
HAPPY NEW YEAR 2026
नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस
एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाए।
JITENDRA KUMAR
ADVOCATE
Patna High Court & Civil Court Patna
संयूक्त सचिव
अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति
सहायक संपादक, विधि विमर्श
9471852600
Office cum Residence:
मंगल चौक, ए० डि० एम० रोड, खेमनीचक, पटना–30

बेजुबानों के साथ हमदर्दी रखिए ये बिना लफ्जों के दुआये देते है
MKDF
(Regd. 2281/2021-22)
माँ कौशल्या देवी फाउंडेशन ट्रस्ट
बेजुबान जानवरों के लिए भण्डारा प्रत्येक
दिन दिल्ली के विभिन इलाकों मे बेजुबानो की
सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा है।
बेजुबान जानवरों को बिन कारण न मारे।
महाराज जी
के. एल. गुप्ता
संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष
(MKDF)
M: 9873133878
जल,जंगल एवं जानवरों को सुरक्षित कर राष्ट्रहित में अपना योगदान दें।

BE OUR AUTHOR

We are excited to hear from you. Your voice matters to us.

At Mohan Law House, our authors play a vital role in shaping the legal discourse. For decades, we have been known for our vast and distinguished collection of books spanning a wide array of legal disciplines, including but not limited to Commercial Law, Company Law, Contracts and Torts, Environmental Law, Evidence, and many more. In today's ever evolving legal landscape, staying informed is essential, and our curated publications reflect both the latest developments and the most influential works across each field.

With established locations in New Delhi, Mumbai, and Bengaluru, Mohan Law House has become a trusted cornerstone for legal professionals seeking reliable resources and enriching reading materials.

Founded with a commitment to support the diverse needs of legal experts, students, researchers, and enthusiasts, Mohan Law House continues to stand as a haven of profound legal insight.

We Invite You to Publish With Us

Get your work published with us and make it reach a global audience. Your submissions will go through an editorial review process. If you have found a research area that you believe would make a meaningful impact and envision it as a book, Mohan Law House is ready to help turn that vision into reality! Submit your book proposal today.

At

editor@mohanlawhouse.com

Mohan LAW HOUSE ®
Books and More....

S#2, Subway Supreme Court of India,
Bhagwandass Road,
New Delhi – 110001
www.mohanlawhouse.com

Legal Bites
Law and Beyond

LEGAL BITES GROWTH PLAN

AT JUST

₹799 FOR 1 YEAR

USE CODE: LBSMART26

27+ Law Subjects Notes | **20,000+** Solved MCQs | Case Comments
500+ Exams Solved papers of **Judiciary**, CLAT, CUET, UGC-NET, etc.

www.legalbites.in

Subscribed by INDIA's Top Law Institutions

University of Delhi

SGT UNIVERSITY

IILM UNIVERSITY

MANIPAL UNIVERSITY

[... and many more.]

+91-7836070747 | contact@legalbites.in

***With Best Compliments from : Vidhi Vimarsh** (Monthly Legal Magazine) # 9334612716*

Patna High Court-2026

JANUARY

S		4	11	18	25
M		5	12	19	26
T		6	13	20	27
W		7	14	21	28
T	1	8	15	22	29
F	2	9	16	23	30
S	3	10	17#	24	31#

FEBRUARY

S	1	8	15	22	
M	2	9	16	23	
T	3	10	17	24	
W	4	11	18	25	
T	5	12	19	26	
F	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

MARCH

S	1	8	15	22	29
M	2	9	16	23	30
T	3	10	17	24	31
W	4	11	18	25	
T	5	12	19	26	
F	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

APRIL

S		5	12	19	26
M		6	13	20	27
T		7	14	21	28
W	1	8	15	22	29
T	2	9	16	23	30
F	3	10	17	24	
S	4	11	18#	25	

MAY

S	31	3	10	17	24
M		4	11	18	25
T		5	12	19	26
W		6	13	20	27
T		7	14	21	28
F	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

JUNE

S		7	14	21	28
M	1	8	15	22	29
T	2	9	16	23	30
W	3	10	17	24	
T	4	11	18	25	
F	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

JULY

S		5	12	19	26
M		6	13	20	27
T		7	14	21	28
W	1	8	15	22	29
T	2	9	16	23	30
F	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

AUGUST

S	30	2	9	16	23
M	31	3	10	17	24
T		4	11	18	25
W		5	12	19	26
T		6	13	20	27
F		7	14	21	28
S	1	8	15	22	29#

SEPTEMBER

S		6	13	20	27
M		7	14	21	28
T	1	8	15	22	29
W	2	9	16	23	30
T	3	10	17	24	
F	4	11	18	25	
S	5	12	19#	26	

OCTOBER

S		4	11	18	25
M		5	12	19	26
T		6	13	20	27
W		7	14	21	28
T	1	8	15	22	29
F	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

NOVEMBER

S	1	8	15	22	29
M	2	9	16	23	30
T	3	10	17	24	
W	4	11	18	25	
T	5	12	19	26	
F	6	13	20	27	
S	7	14	21	28#	

DECEMBER

S		6	13	20	27
M		7	14	21	28
T	1	8	15	22	29
W	2	9	16	23	30
T	3	10	17	24	31
F	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

N.B.: 1. ALL SUNDAYS, SECOND SATURDAYS & HIGH COURT HOLIDAYS ARE SHOWN IN RED.
2. # - JAN. 17 & 31, APR. 18, AUG. 29, SEP. 19 AND NOV. 28 ARE COURT WORKING DAYS.

LIST OF HOLIDAYS FOR 2026

HOLIDAYS	HIGH COURT	SUPREME COURT
NewYear's Day	Jan. 01 to 02	Jan. 01 to 02
Uttarayan Paush or Makar Sankranti	Jan. 14	Jan. 14
Vasant Panchami	Jan. 23	—
Republic Day	Jan. 26	Jan. 26
Maha Shivratri	Feb. 15	—
Holi	Mar. 02 to 07	Mar. 02 to 07
Eid-Ul-Fitre*	Mar. 21 to 22	Mar. 21
Sri Ram Navami	Mar. 27	Mar. 26
Local Holiday	—	Mar. 27 & 30
Mahavir Jayanti	—	Mar. 31
Good Friday	—	Apr. 03
Local Holiday	Apr. 13	—
Chaitra Sankranti	Apr. 14	—
Birthday of Dr. B. R. Ambedkar	Apr. 14	—
Buddha Purnima	—	May 01
Annual Vacation	May 18 to June 14	—
Eid-Uz-Zoha*	May 28 to 29	May 27
Partial Court Working Days	—	June 01 to July 12
Muharram*	June 26	June 26
Independence Day	Aug. 15	Aug. 15
Fatiha-Dwaz-Dahum*	Aug. 26	Aug. 26
Raksha Bandhan	—	Aug. 28
Sri Krishna Janmashtami	Sep. 04	Sep. 04
Ganesh Chaturthi	Sep. 14	Sep. 14
Birthday of Mahatma Gandhi	Oct. 02	Oct. 02
Durga Puja Holidays Including Laxmi Puja (25.10.2026)	Oct. 16 to 25	Oct. 19 to 24
Diwali, Dawat Puja & Chhath	Nov. 08 to 17	Nov. 09 to 14
Birthday of Guru Nanak Deojee	Nov. 24	Nov. 24
Christmas Holidays	Dec. 25 to 31	Dec. 21 to 31

HALF DAY HOLIDAYS

FESTIVAL WITH DATE	WORKING HOURS COURT	WORKING HOURS OFFICE
Chehallum* 04.08.2026 (Tuesday)	2:15 PM	1:45 PM
Anant Chaturdashi 25.09.2026 (Friday)	2:15 PM	1:45 PM
Kalash Sthapan 11.10.2026 (Sunday)	....	....

RESTRICTED HOLIDAYS

Shab-E-Barat* (Next Day of Festival)	Feb. 05
Last Friday of Ramzan*	March 20
Mahavir Jayanti	March 31
Good Friday	April 03
Easter Monday	April 06
Buddha Purnima	May 01
Chehallum*	Aug. 04
Raksha Bandhan	Aug. 28
Mahalya	Oct. 10

Note: An employee can avail maximum of two Restricted Holidays in the calendar year. However, prior permission of the officer authorised for granting casual leave is essential. These leave can be granted keeping inview the smooth functioning of the court.
*These are tentative dates which may be changed by Hon'ble the Chief Justice as per the visibility of the moon.